हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

3 फरवरी, 1999

खण्ड 1, अंक 5

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 3 फरवरी, 1999

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(5)1
अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प की सूचना पर चर्चा	(5)1
सदस्य का नाम लेना	(5)5
अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प की सूचना पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(5)7
वाक–आउट	(5)11
तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(5)12
सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन	(5)16
वर्श 1999–2000 का बजट पे ा करना	(5)16

हरियाणा विधान सभा

बुधवार 3 फरवरी, 1999

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो0 छत्तर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः साहेबान अब क्वै चन आवर होगा। श्री देवराज दीवान, आप अपना प्र न पूछिये।

अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प की सूचना पर चर्चा

श्री ओम प्रका ा चौटालाः हमने आपके खिलाफ रिमूवल का नोटिस दिया है। ..... (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, आप बैठिये। Tis is no time to raise such matter. (Interruptions)

श्री ओम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आप यहां बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि आपके खिलाफ हमने रिमूवल का नोटिस दिया हुआ है, इसलिए आप इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते।

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, मैं आपके कहने से जाने वाला नहीं हूं और आपने पहले भी बहुत बार ऐसा किया है।

श्री ओम प्रका ा चौटाला: आप मेरे कहने से जाने वाले तो नहीं हैं, लेकिन आज आज यहां नहीं बैठ सकते। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चौटाला साहब, आप बैठ जाईए।

श्री ओम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आज आप इस सीट पर बिल्कुल नहीं बैठ सकते और ..... के भी नहीं बैठ सकते। (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Mr. Chautala, please take your seat. You are nobody to dictate me. (Interruptions) यह आपके घर की परम्परा होगी, हाऊस की परम्परा नहीं है। (ाोर एवं व्यवधान) Mr. Chautala, I warn you. Please take your seat.

श्री ओम प्रका ा चौटाला: हमने आपके खिलाफ रिमूवल का नोटिस दिया है, इसलिये आप इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। (ाोर)

श्री अध्यक्ष: चौटाला साहब, आप बैठिये।

श्री ओम प्रका ा चौटाला: आपको पहले भी इस हाऊस से ..... करके निकाला गया था वरना उस समय आप कोई आसानी से निकलने वाले थोडे थे। (ाोर)

Mr. Speaker: Mr. Chautala, I warn you. Please take your seat.

श्री ओम प्रका ा चौटाला: हमने आपके खिलाफ रिमूवल का नोटिस दिया है इसलिये आप इस सीट पर नहीं बैठ सकते और आप को यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आप इस सीट पर बैठकर कोई आर्डर पास नहीं कर सकते।

Mr. Speaker: Mr. Chautala, please take your seat. (Noise & Interruptions). खु ीद अहमद जी, आप पढे लिखे आदमी हैं, इसलिए आप बताईए। इनको तो पता नहीं क्योंकि इनको पढना लिखना तो आता नहीं है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रका ा चौटाला: कायदे के मुताबिक इस सीट पर आप नहीं बैठ सकते और डिप्टी स्पीकर महोदय इस सीट पर बैठ कर फैसला करैंगे।

श्री अध्यक्ष: चौटाला साहब, आपके कहने से तो मैं कुर्सी छोडूंगा नहीं, इसलिये आप कृपाय बैठ जाईए। You are nobody to advise me. (Interrutptions).

श्री ओम प्रका ा चौटाला: यह तो हमें पता है कि आप कुर्सी नहीं छोडेंगे।

श्री अध्यक्ष: यह कोई नई बात नहीं है और आप हर बार ऐसे मो ान लाते हैं। मैं आपके कहने से यहां नहीं बैठा हूं और आपके कहने से मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। इसलिये आप यह बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री खु र्शिद अहमदः अध्यक्ष जी, आप हम एम0एल0एज0 की वजह से ही इस कुर्सी पर बैठे हैं। आप जिन रूल्ज के तहत स्पीकर हैं आप उन रूल्ज की वॉयले ान कर रहे हैं।

श्री ओम प्रका ा चौटालाः आपके खिलाफ रिमूवल का नोटिस आया है। वह नोटिस इतनी स्ट्रैंथ में आया है कि आप यहां बैठ नहीं सकते।

श्री खु र्शिद अहमदः सर, हमने अण्डर रूल–2 नोटिस दे दिया है।

श्री अध्यक्षः यह नोटिस एक बार नहीं आया, पिछली बार भी था लेकिन कांस्टीच्यू ानली 14 दिन का नोटिस होना चाहिये। (ाोर एवं व्यवधान) I can not go beyond the Constitution and Mr. Chautala is also nobody to go beyond the Constitution.

Sh. Khurshid Ahmed: Sir, there is a precedent in the House. यह रूल नो कौन्फीडैंस मो ान का नहीं है बल्कि रिमूवल का है। There is rull 11 of the Rules of Procedure and Conduct of Business. Let me read this rule, Sir. (Interruptions & Noise)

Mr. Speaker: Mr. Khurshid Ahmed, please listen to me क्या उस नोटिस पर आपके हस्ताक्षर हैं ? (Interruptions).

Sh. Khurshid Ahmed: सर इसमें इस्ताक्षरों का सवाल नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूं nothing can take priority

except this Resulution removal of Speaker. (Noise & Interruptions).

श्री अध्यक्षः खु ीद अहमद जी, क्या आप बता सकते हैं कि कहीं स्पीकर के विरूद्ध नो कांफिडैंस मो ान आया हो। अगर कोई हो तो दिखा दीजिए।

Sh. Khurshd Ahmed: There is rule providing for the removal of Speaker and the Depurty Speaker. (Noise & Interruptions).

श्री अध्यक्षः मैं सभी माननीय सदस्यों से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे कृपया अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (ाोर)

श्री खु ीद अहमदः स्पीकर साहब, ... (ाोर एवं व्यवधान)

Mr.Speaker: Whatever Sh. Khurshid Ahmed has spoken, that may not be recorded. (Interruptions)

ि ाक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): अध्यक्ष महोदय, चौधरी खु ीद अहमद जी बहुत पुराने पार्लियामैंटेरियन हैं और हमारे सदन के वरिश्ठ सदस्य हैं। ये रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनैस के रूल 11 की चर्चा कर रहे हैं। अभी थोडी देर पहले विपक्ष के माननीय सदस्य चौधरी ओम प्रका ा चौटाला ने कहा कि उन्होंने आपके खिलाफ अवि वास प्रस्ताव दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं रूल्ज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस

के रूल 65 के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। यह हाउस इस नियमावली के हिसाब से ही चलता है। इस नियमावली के रूल 65 में अवि वास प्रस्ताव का प्रावधान है वह मंत्रिमंडल के खिलाफ अवि वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान है। मंत्रिमंडल के खिलाफ अवि वास प्रस्ताव लोने का प्रावधान इस नियमावली के रूल 65 के अन्तर्गत आता है।

माननीय स्पीकर साहब के खिलाफ अवि वास का प्रस्ताव विधान सभा की नियमावली के नियम 65 के अन्तर्गत नहीं आता। (विघ्न) कैप्टन अजय सिंह जी, कु ती लडने के लिए क्यों तैयार हो रहे हो ? क्या यह विधान सभा की कु ती के लिए है ? यह विधान सभा तर्कसंगत विचारों के लिए है। यह विधायकों की विधान सभा है। यहां पर तर्क की बात होती है, इसमें मसल्ज काम नहीं करते। यहां पर मस्तिश्क काम करता है। हम 1—1 लाख लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। कु ती के आधार पर चुनाव नहीं होता। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप सभी आराम से बैठें।

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, मैं सबमि ान कर रहा था कि सदन में विपक्ष के माननीय नेता कहते हैं कि नियम 65 वि वास का प्रस्ताव है। (विघ्न) खु र्शिद अहमद कहते हैं कि (ाोर एवं व्यवधान) I have every right to say my words. (Interruptions) स्पीकर साहब ने मुझे भी समय दिया है और

आपको भी दिया है। मैं भी इसी नियमावली के अन्तर्गत पढकर अपनी बात कहना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि नियम 65 के अंतर्गत अवि वास का प्रस्ताव आता है, कुछ कहते हैं कि नियम 11 के अन्तर्गत आता है, अध्यक्ष महोदय, कुछ मर्यादाएं होती हैं। पिछली बार भी आपने प्रेस दिखाते हुए अपना बडप्पन और महानता दिखातें हुए इनकी बात को माना हालांकि वह इस नियम के अंतर्गत नहीं आता था। मेरे कहने का मतलब यह है कि माननीय सदस्य जो अवि वास प्रस्ताव आपके खिलाफ ला रहे हैं उसके बारे में हम बहुत पहले से सुन रहे थे कि ये सरकार के खिलाफ अवि वास प्रस्ताव लायेंगे, ये क्यों नहीं लाये ? ये कोई प्रस्ताव लायें तो वह कायदे कानून के हिसाब से लायें। हर बार कोई इधर उधर की बातें करके कोई कागज देकर आपके खिलाफ कोई प्रस्ताव ले आते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। ऐसी बेकार की कोई हाउस की परम्परा नहीं बनानी चाहिए।

श्री खु र्शीद अहमदः स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्षः खु र्शीद जी, आप पढे लिखे आदमी हैं इसलिए मैं आपके पास कान्स्टीच्यू ान की यह कापी भेजा देता हूं। इसे आप पढ लें।

श्री खु र्शीद अहमदः यह तो मैंने पहले ही पढ रखी हैं।

श्री अध्यक्षः अगर आपने इसे पढ रखा होता तो भाायद आप ऐसी बातें नहीं करते। इसलिए आप कृपया अब बैठें।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं कान्स्टीच्यू ान की धारा 179–सी को पढ देता हूं। इसमे लिखा है–

Article 179 (c) of the Constitution of India and no Rule of any House can abrogate the provision of the Constitution and this provision of the Constitution says-

"May be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of all the then members of the Assembly:

Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days notice has been given of the intention to move the resoluction:"

Their resolution has been received, but you cannot take it up before 14 days. Last time, when you said that it should be discussed, even that was not proper on our part to discuss it because we cannot violate the provision of the Constitution. This is the Constitution and we are working according to the Constitution. Nothing is above the Constitution. (Interruptions)

श्री अध्यक्षः कैप्टन अजय सिंह जी, आप कान्स्टीच्यू ान के बहुत बडे ज्ञाता दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आप बोलिये।

Capt. Ajay Singh Yadav: I read the Rules.

Mr. Speaker: No, no. Rules cannot over rule the Constitution of India. This is the Constitution of India.

Capt. Ajay Singh Yadav: I can read the Rules. What is the necessary of the Rules ? As per the Rules the House runs. If you don't believe in the Rules then scrap all the Rules.

श्री राम बिलास भार्मा: रूल 11 में आर्टिकल 179–सी की परिभाशा की गई है। जो इस तरह का प्रस्ताव आर्टिकल 179–सी की भार्तों को पूरा करता है, उसी पर विचार कर सकते हैं। आर्टिकल 179 सी के प्रावधान की भार्त अभी मुख्य मंत्री जी ने पढी है। कैप्टन साहब, इसको किसी भी भाशा में पढ लें, हिन्दी में पढ लें, अंग्रेजी में पढ लें या किसी भी और भाशा में पढ लें यह बिल्कुल स्पश्ट है। अध्यक्ष महोदय, इस संविधान को उन लोगों ने बहुत सोच समझ कर बनाया था। जहां तक कु ती की बात है, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग विधान सभा में विधायक बन कर जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और तर्कसंगत बातों से अपनी बात कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कोई तो ऐसी बात हो जिसे ये फौलो करें। काम के हिसाब से यह नियमावली बनी है। इस सदन को चलाने के लिए यह नियमावली देती है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी खु ीद अहमद जी इस बात को एप्रि ियेट करेंगे क्योंकि इन्होंने कांस्टीच्यू ान को कई बार पढा है, एक बार वे फिर से इसको पढ लें कि 179 सी में बहुत इलैबोरेटली साफ

तौर पर यह मैं ान किया है कि ये ये भार्तें पूरी करने के बाद यह नोटिस दिया जा सकता है। (विघ्न एवं भाोर)

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इनके नॉलेज में थोडा सा इजाफा और कर दूं। जो रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट ऑफ बिजनैस है, जिसके रूल का ये लोग हवाला दे रहे हैं इसमें बडा क्लीयर है "As soon as may be after the receipt of notice of a resolution to remove the Speaker or the Deputy Speaker." यह जो रूल 11 है वह भी कांस्टीच्यू ान की आर्टिकल 179 सी को अहम मानता है। (विघ्न)

श्री ओम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिए। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, आप एक मिनट बैठिए। (विघ्न) जहां तक आपके नोटिस की बात है, आपका नोटिस ऑफिस में आ गया है। जहां तक इस पर डिस्क ान और चर्चा की बात है यह चर्चा नहीं हो सकती है क्योंकि we cannot go beyond the Constitution of India. We are here as per the Constitution of India and I would not allow anybody to go beyond the Constitution of India whatever he may be. यह पहले भी आया था और अब भी आया है। अगर आपने यह सोच लिया है कि हाऊस का टाईम बरबाद करना है तो वह दूसरी बात है। दुख की बात तो यह है कि चौधरी खु ार्शिद अहमद जैसे इतने पुराने विधायक और जो वकील भी हैं, कांस्टीच्यू ान को वायलेट करने

की बात कहें। हम यहां पर किस लिए बैठे हैं ? (Interruptions). We are here as per the Constituion of India and I won't allow anybody to go beyond the Constitution of India. (Noise & Interruptions)

सदस्य का नाम लेना

श्री खु र्शिद अहमदः सर, नोटिस का प्रोसीजर लेड डाउन है। (विघ्न)

श्री ओम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिए। (विघ्न एवं भाोर)

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप यह बात अपने दिमाग से निकाल दें। मैं अगर यहां पर बैठा हुआ हूं तो वह चौटाला के रहम से नहीं बैठा हूं। (विघ्न एवं भाोर)

श्री ओम प्रका ा चौटालाः आपने यह बात पचासों दफा दोहराई है। (विघ्न) आप इस पद की गरिमा को बना कर नहीं रख रहे हैं। (विघ्न एवं भाोर)

श्री अध्यक्षः क्या आप गरिमा को बढा रहे हैं ? (विघ्न एवं भाोर)

श्री ओम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है। मैं तो हैरान इस बात पर हूं कि बहस क्यों हो रही है। (विघ्न एवं भाोर).....

श्री अध्यक्ष: मिस्टर चौटाला जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (विघ्न) Mr. Chautala, please take you seat, otherwise I will have to name your. I cannot go beyond the Constitution. (Noise & Interruptions) मैंने मिस्टर चौटाला की वर्डिक्ट नहीं सुननी है। (विघ्न) मैंने चौटाला साहब की डिक्टे ान पर नहीं चलना है। I want Mr. Chautala and I will have to name him. (Noise & Interruptions).

Sh. Om Parkash Chautala: .....

Mr. Speaker: I warn you. Please take your seat, otherwise I will have to name you. (Interruptions) Sh. Khurshid Ahmed please take you seat.

Sh. Om Parkash Chautala: .....

Mr. Speaker: Whatever is being spoken without the permission of the Chair is not to be recorded. (Interruptions)

(At this stage many members rose to speak.)

Mr. Speaker: Nothing to be recorded. Mr. Chautala, I warn you, otherwise I will have to name you. (Interruptions).

Sh. Dhir Pal Singh: .....

Capt. Ajay Singh Yadav: .....

Sh. Om Parkash Chautala: .....

श्री अध्यक्ष: चौटाला जी आपके कहने से कुछ नहीं होगा। Don't try to dictate the Chair. I will go according to the

rules. (Interruptions) I request you to take your seat, otherwise I will have to name you.

Mr. Om Parkash Chautala: .....

Mr. Speaker: I name Mr. Chautala. I request him to leave the House. (Interrutptions) मैं आपके कहने से कुर्सी पर नहीं बैठा हूं और न ही आपके कहने से यहां से जाऊंगा। (ाोर एवं व्यवधान)

Sh. Dhir Pal Singh: .....

Sh. Om Parkash Chautala: .....

Mr. Speaker: I have named Sh. Chautala. I request him to leave the House.

(At this stage Sh. Om Parkash Chautala withdraw from the House.)

अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प की सूचना पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Sh. Dhir Pal Singh: .....

श्री अध्यक्षः आप जो ड्रामा कर रहे हैं क्या प्र न काल के वक्त में ऐसा होता है। (Interruptions)

Sh. Dhir Pal Singh: .....

Capt.Ajay Singh Yadav: .....

Sh. Jaswinder Singh Sindhu: .....

Mr. Speaker: Nothing to be recorded except with my permission. Please take your seats, otherwise I will have to name you. (Interruptiosn) Mr. Jaswinder Singh, please take you seat, otherwise I will have to name you.

Sh. Dhir Pal Singh: .....

श्री अध्यक्षः आप सरकार की बात कर रहे हैं। अगर आप में दम था तो इसके खिलाफ नो कांफिडैंस मो ान ले आते। आपको किसने रोका था। (ाोर एवं व्यवधान) आप सब बैठ जाएं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री खु ार्शिद अहमदः स्पीकर साहब, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः खु ार्शिद अहमद जी, जो आपने पहले कहा है अगर उससे कुछ अलग बात आप कहना चाहते हैं तो बताएं।

श्री खु ार्शिद अहमदः स्पीकर सर, मैं दलाल साहब द्वारा कही गयी बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 179 सी के तहत स्पीकर की रिमूवल के लिए 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है तथा यह नोटिस कांस्टीच्यू ान के हिसाब से भी जरूरी है लेकिन उसकी इंटे ान का नोटिस देने के लिए इस विधानसभा ने अपने रूल्ज ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनैस बनाए हुए हैं। इनके तहत हमको यह अख्तियार है कि जब हम चाहें स्पीकर की रिमूवल के लिए आपको नोटिस दे सकते हैं

और यदि हमने आपको इस तरह का कोई नोटिस दे दिया then you are bound to read it now.

श्री अध्यक्षः मैं तो सोच रहा था कि आप कोई बात अच्छी कहेंगे क्योंकि आप लम्बे समय तक वकालत करते रहे हैं और आप बहुत सीनियर मैंबर भी हैं। अब आप अपनी सीट पर बैठें। (ाोर एवं व्यवधान)

Sh. Khurshid Ahmed: Under Rule 11 of the Ruels of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly, it is mandatory for the Speaker to read the Resolution and yo cannot violate it. If you violate it, it would be the contempt of this House. (Interruptions) आर्टिकल 179 सी के तहत स्पीकर की रिमूवल के लिए 14 दिन का नोटिस देने का प्रोसिजर है। वही प्रोसिजर आपने यहां पर ऐस्टेबलि । किया हु आ है।

Mr. Speaker: Mr. Khurshid Ahmed ji, please take you seat. That matter cannot be discussed before 14 days.

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, हमने स्पीकर की रिमूवल के लिए नोटिस दिया हुआ है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नहीं, नहीं, अब आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री धीरपाल सिंहः यहां पर चर्चा इस बात की हो रही है कि पहले स्पीकर साहब इस चेयर को छोड कर जाएं और डिप्टी स्पीकर साहब चेयर पर जाकर बैठें। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठें। मैं एक बार फिर सभी माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वे हाऊस को चलने दें। I won't allow any body to go beyond the Constitution of India.

श्री धीरपाल सिंहः लेकिन पहले भी आपने ऐसा किया है, इसका मतलब उस समय आपने संविधान की उल्लंघना की थी। (ोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैं धीरपाल जी आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपकी मर्जी से नहीं चलूंगा। यह बात आप अपने दिमाग से निकाल दें। Mr. Dhir Pal, I warn you, please take your seat, otherwise I will have to name you.

श्री धीरपाल सिंहः इस सरकार के गठन के बाद सिवाए हमें नेम करने के और क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अध्यक्षः धीरपाल जी, आप बैठें।

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः धीरपाल जी, मेरी परमि ान के बगैर जो कुछ भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। (ोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, चौधरी खु ीद अहमद जी ने कांस्टीच्यू ान के आर्टिकल 179 सी को उदृत किया,

वह बिल्कुल ठीक किया। जो इसे साइट किया, वह ठीक किया। माननीय चौधरी खु र्शीद अहमद जी बहुत अनुभवी पार्लियामैंटेरियन हैं और इन्हें असैम्बली का भी काफी अनुभव है। मैं इन्हें कांस्टीच्यू ान की अथौरिटी भी कह सकता हूं लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 179 सी के बाद ही तो इस रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में रूल–11 का जन्म हुआ है। पहले बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 179 सी का प्रावधान किया और उसके प्रका ा में रूल 11 का जन्म हुआ। यह जो रूल 11 का प्रावधान है इसे आर्टिकल 179 सी के प्रका ा में ही पढा जा सकता है। रूल 11 को 179 सी से पहले नहीं पढा जा सकता। इसमें कहीं ऐम्बिग्युटी नहीं है। यदि रूल 11 अपने आप में स्वछंद होता और यह ऑगस्ट हाऊस अपनी मनमर्जी से इसका प्रावधान कर सकता होता तो आर्टिकल 179 सी का उल्लेख नहीं होता। इसलिए मैं कह सकता हूं कि चौधरी खु र्शीद अहमद ने ठीक फरमाया, पहले 179 सी का जन्म हुआ और उसके प्रका ा में इस नियमावली के रूल 11 का जन्म हुआ।

श्री खु र्शीद अहमदः स्पीकर सर, इसी मामले में बारे में जो प्रौसीजर पहले ऐडौप्ट किया गया था वही प्रौसीजर आज ऐडौप्ट किया जाए। इसका फैसला आज ही हो जाएगा, so we have to follow that procedure. (Noise)

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाएं। (ाोर एवं विघ्न) आपका रैजोल्यू ान आफिस में आ गया है। (Noise & Interruptions).

That cannot be discussed before 14 days. खु ीिद अहमद जी, आप बैठ जाइए। (ाोर एवं विघ्न) पिछली बार भी आप लोग मेरे खिलाफ रिमूवल का रैजोल्यू ान लाए थे। मैंने उस समय कैटेगरिकली कहा था कि it cannot be discussed and today also it cannot be discussed. (Noise). Now I request Ch. Khurshid Ahmed to take his seat; otherwise I will have to name him. This is my last warning. (Noise & Interruptions).

Sh. Ram Bilas Sharma: Sir, I may be allowed to speak. (Noise & Interruptions)

(At this stage many members rose to speak).

Mr. Speaker: Ch. Khurshid Ahmed Ji, you please take your seat, otherwise I will have to name you.

Sh. Khurshid Ahmed: That you may do, Sir.

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर सर, यह जो 179ग में लिखा हुआ है। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, वही बात बार बार दोहराई जा रही है इसके अलावा और कौन सी बात है।

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर सर, जिस धारा का उल्लेख माननीय साथी कर रहे हैं मैं उसको अक्षर ाः उनकी सेवा में पढना चाहता हूं। रूल्ज आफ प्रोओसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनैस का नियम 11(1) संविधान के अनुच्छेद 179(ग) के अधीन

हैं और 179(ग) के अधीन ही उस पर कार्यवाही हो सकती है। इसलिए 179(ग) के अधीन इनकी बात कवर नहीं होती।

श्री अध्यक्षः वह तो इनको भी पता है।

लोक निर्माण मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): स्पीकर सर, बडे दुख की बात है कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य जान बूझकर इसके बारे में भाोर भाराबा कर रहे हैं और समय समय पर खडे होकर आपकी चेयर पर एसप र्न कास्ट कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। यह संविधान की बात है। ये कायदे कानून हमारे अपने तो बनाये हो सकते हैं मगर सर्वोच्च संविधान जो डा0 भीम राव अम्बेडकर ने इस दे ा को दिया था उसकी उल्लंघना न तो ये लोग कर सकते हैं और न ही हम लोग कर सकते हैं। चौधरी खु र्शिद अहमद जी मेरी बात सुनिये। (विघ्न)

श्री जसविन्द्र सिंह सिंधुः स्पीकर सर, मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्षः जसविन्द्र सिंह जी यह आपकी अप्रोच से बाहर की बात है आप बैठिये।

श्री जसविन्द्र सिंह सिंधुः स्पीकर सर, आप मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से चौधरी खु र्शिद अहमद जी से प्रार्थना करता हूं कि इस धारा को एक दफा फिर पढ लें। (विघ्न) स्पीकर सर, इनका यह कोई तरीका

है कि किसी को अपनी बात पूरी नहीं कहने देते। मैं चौधरी खु र्शीद अहमद जी की जानकारी के लिए बता दूं कि 179सी में यह साफ लिखा हुआ है कि–

"Provided that no resolutionfor the purpose of clause (c) shall be moved unless atleat fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution."

स्पीकर सर, इसमें साफ लिखा हुआ है। इनकी मं ाा संविधान की धाराओं को पढने की नहीं है। ये जान बूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने लगे हुए हैं।

Mr. Speaker: Now, this matter comes to an end because sufficient discussion had already taken place on this matter and now let the House take up the questions.

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, मेरी बात तो अधूरी ही रह गई। स्पीकर सर, चौधरी खु र्शीद अहमद जी की जानकारी के लिए मैं इनको एक बात दूं कि कानूनी बात भी वही है कि No rule can be framed beyond the Act. संविधान की किताब में यह साफ लिखा हुआ है। लेकिन इनको संविधान से कुछ लेना देना नहीं है।

श्री खु र्शीद अहमदः स्पीकर सर, मेरी बात तो आप सुन नहीं रहे हैं पहले मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्षः खु र्शीद अहमद जी, आप बैठिये।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, मेरी बात तो पूरी हो जाने दो। इनको मोटे भाब्दों में समझ नहीं आता।

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर सर, बार बार एक ही बात को दोहराया जा रहा है।

श्री अध्यक्षः धीरपाल जी आप अपनी सीट पर बैठिये। जहां तक कार्यवाही में बोलने की बात है यह सदन किसी भी बपौती नहीं है। आपके समय का रिकार्ड भी दिखा सकता हूं कि सदन कितने दिन चला था। मैं चौधरी खु ीद अहमद जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि वे यह बता दें कि क्या किसी एसैम्बली का रूल संविधान से ऊपर हो सकता है। This is not contrary to the Constitution of India. बल्कि उसके साथ आप पढ लें अगर इस तरह का कोई प्रोवीजन हो भी तो क्या एसैम्बली का रूल संविधान के आर्टीकल को ओवर रूल कर सकता है। आप यह बता दें।

श्री खु ीद अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैं ओवररूल करने की बात नहीं कह रहा हूं। मेरा तो यह स्टैंड है कि संविधान की इस आर्टिकल को इफैक्ट देने के लिए इस माननीय सदन ने यह रूल बनाया है। आर्टिकल 179सी का इनवोक करके किस तरह से प्रस्ताव लाया जाएगा, इसकी सारी डिटेल इसकी रूल–2 में दी हुई है। (ाोर एवं विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आप इस पर डिस्कस कर लें, हम 14 दिन का नोटिस आज से ही दे देते हैं। (विघ्न) 14

दिन के बाद आपकी मर्जी है, आप इस पर डिस्कस करें या न करें। (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः ठीक है, 14 दिन का नोटिस आप खुद मानते हैं, तो आपका नोटिस आ गया। (ाोर एवं विघ्न) फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आज ही इस पर डिस्क ान कराओ और आप पद से हट जाओ ? (ाोर)

श्री खु ीद अहमदः अध्यक्ष महोदय, आपको यह नोटिस मिल चुका है और आपने यह मान भी लिया है कि आपको नोटिस मिल चुका है। (इस समय काफी सदस्य खडे होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्षः कृपया आप सभी सदस्य बैठ जाएं। मैं आप सब को वार्न करता हूं।

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, आप यह एक गलत परम्परा स्थापित करने जा रहे हैं। (इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खडे रहे।)

Mr. Speaker: Please sit down. I warn you. Please take your seat.

Sh. Khurshid Ahmed: Rule 11(1) says:

"As soon as may be after the receipt of notice of a resolution to remove the Speaker or the Deputy Speaker from his office under Article 179(c) of the Constitution the Speaker shall read the notice to the Assembly ..... ?

You have to follow this Rule. (Interruptions)

श्री अध्यक्षः श्री खु र्शिद अहमद जी, मैंने आपसे प्रार्थना की है कि आप बहुत पुराने एम0एल0ए0 हैं, संसद के सदस्य भी रहे हैं। आप मुझे व इस सदन को सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि क्या संविधान की आर्टिकल को यह सदन ओवररूल कर सकता है ?

श्री खु र्शिद अहमदः अध्यक्ष महोदय, संविधान की आर्टिकल को कोई भी ओवररूल नहीं कर सकता है। न यह सदन कर सकता है और न ही कोई दूसरा सदन कर Iसकता है।

Mr. Speaker: I won't allow you to act like this and I also won't go beyond any Article of the Constitution. I stand to my point. (Interruptions).

वाक–आउट

Sh. Khurshid Ahmed: If you have received the notice then you have no option. You must reat it out. Sir, if you don't read that notice then it is contempt of this House.

Mr. Speaker: It cannot be read before 14 days. Please take your seat. (Noise)

Sh. Khurshid Ahmed: Speaker Sir, if the rules are not followed then it is a contempt of the House. I urge all the opposition members to stage a walk out as a pretest against not taking up the resolution for the removal of the Speaker today itself.

आवाजें: स्पीकर साहब, आप हमारी बात ही नहीं मान रहे हैं। इसलिए हम एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक–आउट करते हैं।

(At this stage all the members of both the parties i.e. Indian National Congress and Haryana Lok Dal (Rashtriya) Party, present in the House staged a walk out)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, ये बिना वजह के ही इस सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की कोि ा ा कर रहे हैं। (ाोर एवं विघ्न)

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, श्री खु र्ीद अहमद जी ने यह बात स्वीकार तो कर ली है कि प्रावधान तो यही है। (ाोर एवं विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, श्री खु र्ीद अहमद जी ने यह बात स्वीकार तो कर ली है कि प्रावधान तो यही है। (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यह इनका अधिकार है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, इनको ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इनका यह सिर्फ आज का काम नहीं है, इनको तो हर रोज का ही ऐसा काम है।

तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

तारांकित प्र न संख्या–815

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री देवराज दीवान सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्र न संख्या–840

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री राम जी लाल सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Repair of Nayan To Thanawas Road

***863. Sh. Kailash Chander Sharma:** Will the minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state the time by which the repair work of Nayana to Thanawas road in district Mohindergarh is likely to be started/completed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): नायन से थानवास तक सड़क की मुरम्मत का कार्य 4/1999 तक आरम्भ होने की सम्भावना है तथा यदि धन उपलबध होता है तो 6/1999 तक पूरा हो जाएगा।

श्री कैला I चन्द्र भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पिछले साल ही इस सडक के टैंडर इनवाईट हुए थे। यह सबसे महत्वपूर्ण सडक है क्योंकि यह दो गांवों को क्रॉस करती हुई जाती है। वहां पर पानी की टंकी होने की वजह से उस रोड की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि इसको बहुत

जल्दी ठीक कराया जाए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि पिछले साल जो टैंडर इनवाईट किए थे, वे रदद क्यों हुए हैं ? उस समय तक तो इस सडक पर रोडी वगैरह भी पड गई थी।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय साथी कैला ा चन्द्र भार्मा जी को बताना चाहूंगा कि इस वर्श के अंदर हमने यह फैसला लिया है कि हम सबसे पहले हरियाणा प्रदे ा के अंदर स्टेट हाईवेज को ठीक करेंगे। उसके बाद एम0डी0आर0 को ठीक करेंगे तथा उसके बाद दूसरे रोडज को ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने सबसे पहले प्राथमिकता बडे रोडज को ठीक करने को दी है इसलिए इस काम में थोडा विलम्ब हो गया है लेकिन हम इस काम को भी अप्रैल 1999 तक पूरा करा देंगे। यह हम उम्मीद रखते हैं।

श्री कैला ा चन्द्र भार्माः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि वहां पर सडक बनाने के लिए सामान पडा है और इसका टैंडर भी इनवाईट हो चुका था। मंत्री महोदय, बे ाक इस बारे में महकमें से पता लगा लें।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी कैला ा चन्द्र भार्मा जी को बताना चाहता हूं कि वहां पर जो सामान पडा है वह सामान इसीलिए पडा है कि इस वर्श अप्रैल 1999 तक उस सडकें का काम पूरा हो जाएगा।

तारांकित प्र न संख्या–810

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य कैप्टन अजय सिंह यादव हाऊस में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्र न संख्या–893

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री धीरपाल सिंह हाऊस में उपस्थित नहीं थे।)

Construction of a Road

***855. Sh. Anil Vij:** Will the minister for Local Government be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a road under bridge at Km. 261/3-4 on Ambla-Saharanpur railway line connecting Shastri Colony, Railway Colony and P&T Colony etc., with the city; and

(b) if so, the time by which the road is likely to be constructed ?

स्थानीय भाासन मंत्री (डॉ0 कमला वर्मा):

(क) प्रस्ताव नगरपरिशद अम्बाला सदन के विचाराधीन है।

(ख) नगरपरिशद के पास फण्ड उपलब्ध होने पर सडक निर्माण का कार्य किया जाएगा।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने जो जवाब दिया है उसके लिए मैं बहन जी का धन्यवाद करता हूं लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जो मैंने सवाल पूछा था उसको विभाग ने ठीक ढंग से नहीं समझा। बहन जी ने वहां पर सडक बनाने का आ वासन दिया है जबकि यह मामला सडक बनाने का नहीं है। यह मामला तो अंडर ब्रिज बनाने का है। अध्यक्ष महोदय, यह जो रोड अंडर ब्रिज है it is a terminolongy. जो पुल रेलवे लाईन के नीचे बनाया जाता है उसे रोड अंडर ब्रिज कहा जाता है, और जो पुल रेलवे लाईन के ऊपर से बनाया जाता है उसे रोड ओवर ब्रिज कहा जाता है। अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने वहां पर रोड बनाने का आ वासन दिया है। मैं आपके माध्यम से बहन जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे वहां पर अंडर ब्रिज बनवायेंगी ?

डॉ0 कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, भाई अनिल विज ने ठीक कहा है कि मैंने इनको रोड बनाने का आ वासन दिया है। अगर इनका प्रपोजल अंडर ब्रिज बनाने का है तो उस पर विचार करना पडेगा और म्यूनिसिपल कमेटी के ई0ओ0 को भी निर्दे ा दे दिये जायेंगे कि वह जाकर देखें और बतायें। मेरी भाई अनिल विज से प्रार्थना है कि ये म्यूनिसिपल कमेटी के ई0ओ0 से मिल लें।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, इस स्थान पर पहले मुख्य भाहर को भाास्त्री कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी तथा पी0 एण्ड टी0 कॉलोनी इत्यादि को जोडता हुआ एक रोड था लेकिन आज

से 25 वर्श पूर्व जी0टी0 रोड पर एक ओवर ब्रिज बनाया गया जिसके कारण यह रोड डिस्क्नैक्ट हो गया। तब से इस क्षेत्र के लोग इस रोड को मुख्य भाहर से जोडने के लिए संघर्श कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं मुख्य भाहर के साथ जोडा जा सकता है, एक तो वहां पर रेलवे फाटक बनाकर तथा दूसरा वहां पर अंडर ब्रिज बनवाकर, सिजके लिए समय समय पर रेलवे विभाग से सम्पर्क भी किया गया। पीछे 2 दिसम्बर को पूर्व रेल मंत्री पासवान जी अंबाला आये थे उस समय मैंने उनसे भी बात की थी और इस पर कार्यवाही भी भाुरू हुई थी। रेलवे विभाग ने वहां पर अंडर ब्रिज बनाने के लिए 6325632 रूपये का एस्टीमेट भी बनाया था। अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही प्रयास मैंने पहले 1990 में भी किया था तथा उस समय रेलवे विभाग ने वहां पर फाटक बनाने के लिए 1180000 रूपये का एस्टीमेट पास किया था। अध्यक्ष महोदय, जार्ज फर्नाडीस जब रेल मंत्री थे उस समय का एक पत्र इन दोनौं मामालों का मेरे पास है जो रेल विभाग द्वारा लिखा गया था। इन दोनों मामलों में रेलवे का यह कहना है कि यह काम तभी हो सकता है जब राज्य सरकार भी इस काम में 50:50 भोयर करेगी। इस संदर्भ में मैं बहन जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या लोगौं की यह बहुत पुरानी मांग पूरी होगी ? यहां रेलवे लाइन क्रॉस करते हुये न जाने कितनी जाने जा चुकी हैं और कितने ही एक्सीडैंट हो चुके हैं इसलिए लोगों की इस जायज मांग को देखते हुये क्या इसके लिए कोई फण्डज मुहैया करायेंगे और लोगों की 25 साल पुरानी मांग पूरी करेंगे ?

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूं कि भाई अनिल विज जी ने जो समस्या बताई है वह आम नागरिक की समस्या है और इस रेलवे फाटक के न बनने से लोगों को बडी तकलीफ हो रही है। मैं यह भी जानती हूं कि रेलवे के साथ जिन कामों को करने के लिए कोई बात हो तो उसमें क्या परे ाानी आती है। आपने रेलवे विभाग के साथ पत्र व्यवहार किया और उन्होंने कहा है कि स्टेट 50 प्रति ात भोयर दे लेकिन देने के बाद भी ये ब्रिज नहीं बनायेंगे क्योंकि इसी तरह का जनमत हमें यमुनानगर में भी आया। यमुनानगर में एक ओवर ब्रिज रेलवे विभाग से बनवाना था, जहां बच्चों को आने जाने में बहुत तकलीफ है लेकिन स्वीकृति आने पर भी अभी तक वह ब्रिज नहीं बनाया गया है। इसलिये अभी ये सडक बनवा लें उसके बाद ब्रिज वाली बात पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, सडक तो ब्रिज बनने के बाद ही बन सकती है और बिना ब्रिज के सडक कैसे बनेगी।

डॉ0 कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, ये थोडा सा जो भी सुविधाजनक काम हो सकता है, उसे करवा लें जिससे कि लोगों को कुछ मदद मिल सके और आने जाने में कोई दिक्कत न हो और भाई अनिल विज भी लोगों को कुछ कहने लायक हो सकेंगे। उसके बाद रेलवे के साथ पत्र व्यवहार करके जो भी हो सकेगा उसे करवा देंगे।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं बहन जी से दूसरी सप्लीमैंटरी पूछना चाहता हूं कि क्योंकि इस मामले में मेरे सिवाय और कोई भी माननीय सदस्य सवाल नहीं पूछते हैं।

श्री अध्यक्षः ठीक है, आपको पूरा मौका दिया जाता है और आप पूछ लें।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, इस ब्रिज को बनाने के लिये रेलवे विभाग की स्वीकृति है और उन्होंने एग्री किया हुआ है तथा एस्टीमेट भी बना कर दिया है, इस संबंध में मेरे पास यहां पत्र भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहन जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अगर रेलवे ऐग्री होगा तो क्या उसके लिए स्टेट गवर्नमैंट 50 प्रति ात फण्ड मुहैया करने के लिए तैयार है ?

डॉ0 कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, एस्टीमेट को देखते हुये विभाग के अधिकारियों के साथ विचार विम र्ा किया जायेगा और फाइनैंस डिपार्टमैंट मुझे फण्डस देगा तो सबसे पहले मैं अम्बाला के लिये ही पैसा दूंगी लेकिन मैं आ वासन नहीं दे सकती। आ वासन इसलिये नहीं दे सकती क्योंकि यह मामला पी0डब्ल्यू0डी0 और रेलवे विभाग से जुडा हुआ है। एस्टीमेट के हिसाब से जो भी संभव हो सकेगा, वह कर देंगे।

तारांकित प्र न संख्या–883

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री कृश्ण हुडडा सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्र न संख्या–905

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री नफे सिंह राठी सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्र न संख्या–898

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्र न संख्या–912

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री बलवन्त सिंह मायना सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्र न संख्या–918

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्रीमती करतार देवी सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्र न संख्या–932

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री रमे ा कुमार खटक सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्र न संख्या–936

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री जसविन्द्र सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्र न संख्या–949

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्र न संख्या–809

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य कैप्टन अजय सिंह में उपस्थित नहीं थे।)

Mr. Speaker: Question Hour is over.

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन

Mr. Speaker: Hon'ble Members, according to Rule 30(1) of the Ruels of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, Private Member's business is to be taken up on Thursday and the programme upto 12th February, 1999 as reported by the Business Advisory Committee was also adopted by the House. Only one private member's Resolution was received for Thursday, the 4th February, 1999, which was allowed for discussion by me but the same has been withdrawn by the concerned member. At present no private members business is pending for consideration for 4th February, 1999 before the House. In these circumstances, if this August House permits, Government business, i.e. General Discussion on budget for the year 1999-2000 be taken up on 4th February, 1999 to provide ample opportunity to the members on General Discussion on the Budget for the year 1999-2000.

Is it the pleasure of the House that the Non-official day be converted into the official day ?

Voices: Yes.

Mr. Speaker: Non-official day fixed for 4th February, 1999 is converted into official day. Now, General Discussion on the Budget for the year 1999-2000 will be taken up on Thursday, the 4th February, 1999 as per changed programme.

वर्श 1999–2000 का बजट पे ा करना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Finance Minister will present the Budget Estimates for the year 1999-2000.

वित्त मंत्री (श्री चरण दास): माननी अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामय सदन के सामने वर्श 1999–2000 के बजट अनुमान पे ा करने जा रहा हूं।

माननीय सदस्गण, आपको ज्ञात ही है कि गत समय में हमारे दे ा ने आर्थिक क्षेत्र में किए गये कई बुनियादी सुधारों के परिणामस्वरूप आर्थिक मजबूती की नई बुलन्दियों को छुआ है। हरियाणा के लोगों के अथक परिश्रम तथा राज्य के गति ील नेतृत्व के कारण हरियाणा में आर्थिक उदारीकरण से बहुत लाभ पहुंचा है और हम अपने आर्थिक आधार को भी सुदृढ करने में अग्रणी रहे हैं। कुछ समय से एि ायाई दे ाों की आर्थिक स्थिति औद्योगिक मंदी के दौर से गुजर रही है, जिसका भारत की अर्थ व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडा है। इन सबके परिणामस्वरूप

और हाल ही में हुई भारी वर्शा के कारण हरियाणा राज्य की अर्थ व्यवस्था की गति में कुछ कमी आई है। इसके बावजूद भी हमारी सरकार मुख्यमंत्री महोदय के योग्य दि ाा निर्दे ान और जनता के सहयोग से आर्थिक स्थिति का उचित प्रबन्ध किया है। **श्री संपत सिंहः** अध्यक्ष महोदय, इनको तो जो पब्लिक रिले ान वाले या दूसरे डिपार्टमैंट वाले कागज पकडा देते हैं उसे ये पढ देते हैं इनको क्या ज्ञान है ? वाटर सिसोर्सिज के बारे में डेविन का जो लैटर पडा हुआ है उसको ये पढें लेकिन इनको तो जो सूट करता है वही लैटर है। जो सूट नहीं करता वह बेकार चला जाता है। आज जनरे ान की बात है। (घंटी) इन्होंने कौन सा नया प्लान्ट लगाया है इन तीन सालों में कौन सी औन जनरे ान की है एन0टी0पी0सी0 जो गैस प्लान्ट लगा रही है, उससे हम परचेज करेंगे और जो जनरे ान 1.25 पैसे में पडती है वह हम 3 रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से उससे परचेज करेंगे। तीन गुना रेट पर आप मार्किट से परचेज कर रहे हो।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, इस भाई को कुछ पता नहीं है।

श्री संपत सिंहः जैसे पानीपत थर्मल पावर प्लाट की बात है तो तीस जून तक थर्मल पॉवर प्लांट की छठी यूनिट आ जाएगी और जो 143 मैगावाट की एन0टी0पी0सी0 की यूनिट है उससे हमारी जनरे ान बढ जाएगी, लेकिन तीस जून तक नहीं बढने वाली। जहां तक डिस्ट्रीब्यू ान का सवाल है तो उसमें कोई

पोल लाइन बन रही है तो उसका उदघाटन हो रहा है, कोई ट्रांसफार्मर लग रहा है तो उसका उदघाटन हो रहा है बिजली मंत्री जी नोट कर लें। 1995–96 में जो नये सब स्टे ान बने थे उनमें 63 नये थे इनकी सरकार आने के पहले साल 53 सब स्टे ानों की ऑगमैन्टे ान हुई थी। इस साल जब वर्श 1998–99 कंप्लीट हो गया है। इसमें नये सब स्टे ान 11 बने हैं और 36 की औगमैंटे ान हुई हैं टोटल 47 बनता है और उस साल थे 63। ये जितना चाहें क्लेम करते जायें परन्तु सब स्टे ान की संख्या पर साल कम होती जा रही है। औगमैंटे ान और नये सब स्टे ांज कम लगाये जा रहे हैं (विघ्न)

बिजली राज्य मंत्री (श्री अत्तर सिंह सैनी): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी की जानकारी के लिए इन्हें बताना चाहता हूं कि 39 सब स्टे ान नये लगा दिये गये हैं जिनमें 220 के0वी0ए0, 132 के0वी0ए0, 66 के0वी0ए0 और 33 के0वी0ए0 के हैं और 182 सब स्टे ान के करीब 30 जून तक औगमैंट हो जायेंगे। टोटल 415 सब स्टे ान हमारे हरियाणा में हैं। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यू ान सिस्टम है और उसके आगे का जो काम होना है वह सारे का सारा पूरी तरह से कर लिया गया है। 30 जून तक 24 घण्टे प्रदे ा के लोगों को बिजली देने का इंतजाम कर लिया गया है। इसीलिए इन विपक्ष के भाईयों को तकलीफ हो रही है कि जब प्रदे ा के लोगों को 24 घण्टे बिजली मिलने लग जायेगी तो ये क्या कहेंगे ? (विघ्न) सरकार द्वारा अपनी उपलब्धियों का

जो प्रोरूप अभिभाशण के रूप में राज्यपाल महोदय को दिया गया उसको उन्होंने पढा है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं लेकिन इस सारे प्रारूप को पढने से पता लगता है कि यह सारे का सारा प्रारूप एक असमर्थ, असवेंदन ील और हता ा सरकार की गुहार है। जैसे बच्चा पालने में पहुंचने से पहले ही मृत्यु का ि ाकार हो जाता है, वैसा ही यह प्रारूप है। इस अभिभाशण को बार बार देखने से मुझे एक बात याद आती है। दो दोस्त थे औरवे दोनों भूखे थे। एक दोस्त ने सुबह उठ कर दूसरे दोस्त को कहा कि रात मैंने सपने में दाल रोटी खाई। इस पर दूसरे दोस्त ने कहा कि अगर सपने में ही खाना खाना था तो कम से कम खीर या हलवा ही खाता। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सरकार का यह प्रारूप भी ऐसा ही लगता है। इस प्रारूप में जिन योजनाओं का जिक्र किया गया है वे ऐसी ही योजनायें लगती हैं। (ाोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि चाहे मुझे आप 10 मिनट का ही समय दें लेकिन कोई भी सदस्य बीच में न बोले और मेरी बात ध्यान से सुनें। कम से कम सत्ता पक्ष के सदस्य तो भाोर न करें। उन्हें तो सब्र रखना ही चाहिए क्योंकि उनको तो कुछ क्रिटीसिज्म सुनना ही पडेगा। लेकिन ये सत्ता पक्ष के सदस्य भाब्दों पर भी झगडा करने लगते हैं। यह गलत है। किसी व्यक्ति वि ोश की बात हो तो दूसरी बात है लेकिन ये तो सच्चाई को भी नहीं सुनते। इनकी बेसब्री यह दिखा रही है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। अध्यक्ष महोदय, जो राज्यपाल महोदय के अभिभाशण की प्रति है उसमें यही लिखा हुआ है कि यह योजना

है और यह सरकार के विचाराधीन है। कहीं कहीं पर यह भी कहा गया है कि इस योजना को सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। यही नहीं बल्कि मुझे बडे अफसोस के साथ कहना पड रहा है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में पिछडे वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की प्रोत्साहन स्कीमें आरम्भ किए जाने की बात कही है लेकिन इन्होंने एक भी स्कीम चालू नहीं की है। केवल चालू करने का प्रस्ताव है। इन्होंने यह भी नहीं कहा कि उनमें से इस साल से एक या दो स्कीम भाुरू कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने छोटी सी बात का उदाहरण दिया है। जब इस प्रकार की रूपरेखा तैयार की गई है तो इससे सरकार की असमर्थता नजर आती है और इसकी बिल में भी कमी नजर आती है। ये जो कुछ कह रहे हैं उसको पूरा भी कर पायेंगे या नहीं यह इनको मालूम नहीं है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाशण में कहा है कि रचनात्मक परिचर्चा की बात होनी चाहिए इसलिए मेरे भी चंद भाब्द इस चर्चा में भाामिल किये जायें। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने लोकपाल की नियुक्ति के बारे में कहा है। यह एक भाुभ संकेत है ब ार्तें की बदले की भावना से न हो। इसमें एक लाईन बहुत अच्छी कही गई है कि हमारी सरकार सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता लाने के लिए भ्रश्टाचार को मिटाने के लिए कृत संकल्प है। यह बडी अच्छी बात है। मैं तो यह कहती हूं कि आप लोकपाल की बात को छोडिए आप अपनी किसी भी एजैंसी के हजारों नौजवानों को भ्रश्टाचार से मुक्ति दिलवाओ। जिन नौजवानों ने पुलिस में भर्ती

के लिए पैसे दिये और भर्ती भी नहीं हुए उन्हें न्याय दिलवाओ। जो पैसे देकर भर्ती हो गये वे तो नहीं कहेंगे कि उन्हौंने पैसे दिये हैं क्योंकि वे तो भर्ती हो गये, लेकिन जो भर्ती नहीं हुए, उनसे पूछो भर्ती में कितने पैसे दिये हैं आप इन बातों की ओर ध्यान दें। इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे अपनी बात कंकल्यूड करने का मौका नहीं देंगे। राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में बिजली परियोजना की चर्चा है। स्पीकर साहब, इस सरकार को सच्चाई स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। सरकार सरकार है। सरकार आती है चली जाती है यह तो एक प्रोग्राम है जो चलता रहात है। पहले भी परियोजनाएं बहुत बनी थीं यह भी सच्चाई है। आपने जिन परियोजनाओं पर प्रैक्टिकली काम किया है यह अच्छी बात है। लेकिन जो नई परियोजनाओं का आपने जनता को झांसा दिया है। यह झांसा आप किसी पोलिटिकल स्टेज पर दे सकते हैं। यहां हाऊस में इस प्रकार का प्रद र्न अच्छा नहीं है। बिजली के बारे में जनता की आवाज है कि बिजली नहीं आती लेकिन बिल जरूर आते हैं। जैसे पहले डोमैस्टिक का बिल 500 रूपए का आता था अब वह 3000 रूपए का आता है और बिजली बोर्ड वाले वह बिल लोगों से वसूल कर रहे हैं। स्पीकर साहब, आ चर्य की बात यह है कि किसानों पर सरकार की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि किसान बिजली के बिल नहीं दे रहे हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि सरकार उन दिनों को याद करे जिन दिनों बाढ का पानी खेतों में खडा था और बिजली की तारें पानी में

डूबी हुई होने के कारण सरकार ने खुद बिजली के कनैक ान कटवाए थे। वे बिजली के कनैक ान आज तक नहीं जोडे गए हैं। लेकिन बिजली बोर्ड ने आज तक यह फैसला नहीं किया कि जिन दिनों में बिजली के कनैक ान कटे हुए थे उन दिनों का बिजली का बिल माफ होना चाहिए। जब सरकार ने खुद बिजली के कनैक ान कटवाए तो फिर उन दिनों के बिजली के बिल माफ करने की बात क्यों नहीं की गई। कोई सदस्य या कोई किसान ऐसा नहीं चाहता कि बिजली मिले नहीं और उसका बिल भी भरा जाए। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगी कि खेतों में बाढ का पानी खडा होने के कारण सरकार ने बिजली के कनैक ान खुद कटवाए। वह कनैक ान इसलिए कटवाए ताकि पानी में करंट न आ जाए और किसी की जान न चली जाए। वे कनैक ान आज तक नहीं जोडे गए हैं लेकिन कनैक ान कटे रहने के बावजूद भी बिजली के बिल आ रहे हैं उन दिनों के बिजली के बिल माफ नहीं किए गए हैं ऐसा हमने देखा है। मेरा सरकार से अनुरोध है और आ ाा भी है कि सरकार किसानों के बारे में सोचेगी और उन दिनों के उनके बिजली के बिल माफ करेगी जिन दिनों में सरकार ने खुद बिजली के कनैक ान कटवाए थे। जिस तरह से सरकार ने बिजली के रेटस बढाए उनकी मैं चर्चा नहीं करती। हो सकता है उसमें सरकार को कुछ मजबूरी हो लेकिन मजबूरी को ध्यान में रखते हुए हर वैल्फेयर सरकार को कुछ न लेने के लिए कमिटमैंट करनी पडती है। उसके लिए सरकार पर जो कुछ बोझ पडता है उस बोझ को उठाना भी पडता

है। जनता की भलाई के लिए इस ढंग से बिजली के टैरिफ मुकरर्र करें जिससे जनता का भला हो सके। हम आपकी प्र ांसा करेंगे। बिजली के बारे में आपने जो कम्पनियां बनाई हैं और ज्वायंट बैंचार की बात कही गई है यह ज्वायंट बैंचर धीरे धीरे प्राइवेट हो जाएगा। मैं इसका विरोध नहीं करती क्योंकि इसमें भारत सरकार के सामने वि व बाजार की बात आ गई उसमें हरियाणा अछूता नहीं रह सकता। अनाज के राश्ट्रीकरण की वजह से इसमें आज उदारीकरण है इसी वजह से उत्पादन करने वाले को छूट है, उसको प्रोत्साहन है। उसी तरह से आप किसानों को बिजली के बारे में सुविधाएं दें। जो बिजली आपने किसानों को देनी है, गरीब से गरीब आदमी को उनकी झोंपडियों में लटटू जलाने के लिए देनी है उसकी कीमतों पर कंट्रोल जरूर करें। आप ज्वायंट बैंचर के चक्कर में न पडें। अब मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहूंगी। यह बात सही है कि नहरों की डीसिल्टिंग हुई है। नहरों में से गाद निकाली गई है। मेरा तो कहना है कि नहरों में यदि पानी ही नहीं होगा तो उनकी टेलों तक पानी कैसे पहुंचेगा। मेरे जिले की यह वि ोश समस्या है। मेरे एक सवाल के लिखित जवाब में मंत्री जी ने लिखा है कि एक महीने में नहर 8 दिन चलेगी। और उस दौरान कहीं बीच में नहर कट जाएगी तो जिसकी पानी की बारी होगी उसको एक महीना और पानी नहीं मिलेगा।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्श कुमार): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि नहर महीने में 8 दिन चलेगी।

श्रीमती करतार देवी: मेरा एक सवाल था उसके लिखित उत्तर में यह कहा गया है। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि आप 8 दिन की बजाये नहर को 10 दिन चला दें ताकि किसानों को पानी मिल सके। अध्यक्ष महोदय, यहां पर हथनी कुण्ड बैराज के बारे में जिक्र किया गया कि यह जून 1999 तक अव य पूरा हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि यह जल्दी पूरा हो ताकि लोगों को राहत मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में नई सडकें बनाने की बात कही गई कि केवल 65 किलोमीटर नई सडक बनेगी। इसका मतलब यह हुआ कि यह नई सडक भी 1–1 किलोमीटर लम्बी सत्ता पक्ष के सदस्यों के हल्कों में ही बन पाएगी। इस 1–1 किलोमीटर लम्बी सडकें बनाने के बारे में हमारे हल्कों का नम्बर आने वाला नहीं है। इस साल सरकार केवल मात्र 65 किलोमीटर सडकें नई बनाएगी तो उसके लिए हम सरकार की क्या प्र ंसा करें। अध्यक्ष महोदय, नई सडकें तो बनानी दूर की बात रही जो पुरानी सडकें टूटी पडी हैं उनकी रिपेयर भी सरकार अब तक नहीं कर पायी है। टूटी हुई सडकों की रिपेयर के बारे में सदन के नेता ने कहा था कि सभी टूटी सडकों की रिपेयर हो जाएगी। इस समय के मुख्य मंत्री जी के बारे में एक समय यह

कहा जाता था कि जो यह वायदा करते हैं उसे पूरा करवाते हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड रहा है कि आज तक सडकों की रिपेयर नहीं हो पायी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार किसी काम को करने का जो वायदा करती है उसे पूरा नहीं कर पाती।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं अपने क्षेत्र के जल निकासी के बारे में कहना चाहूंगी। मैं कहना चाह रही हूं कि जहां पर बारि ा का पानी किसानों की जमीनों में खडा हुआ था वहां पर बहुत सी जगहों से अब भी पानी नहीं निकाला गया है। पानी न निकलने के कारण किसानों की तीन तीन फसलें मारी जा चुकी हैं लेकिन पानी की निकासी की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा। मेरे हल्के से ड्रेन नं0 8 निकलती है मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि उस ड्रेन की कैपेसिटी बढायें बिना और इसमें दो ड्रेन और लाकर डाल दी गई। भगवान न करे 1995 जैसी बाढ आ गई तो फिर मेरे हल्के का क्या होगा क्योंकि एक तो पहले ही इस ड्रेन से पानी पूरा नहीं निकल पा रहा था और अब सरकार ने दो ड्रेन उसमें और लाकर डाल दी। अब यदि वैसी बाढ आ गई तो इस ड्रेन को इस ड्रेन नं0 8 में डालने पर कोई प्रोटैस्ट नहीं किया। ये जो दो ड्रेन निकाली गई उनके बारे में मैं भ्ाुरू से कहती रही कि इनका लैवल ठीक नहीं है लेकिन उस वक्त मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। अब इन ड्रेनों में जो पानी खडा है उसको पम्पों से उठा कर आगे डाला जा रहा है। जो बात

मैं कह रही हूं उससे किसी को दुःखी होने वाली बात नहीं है। मैं सही बात कह रही हूं। इस तरह से जो फिजूल खर्चा किया जाता है उसको जो बोझ पडता है वह किसी पार्टी पर नहीं पडता बल्कि प्रदे ा की जनता पर पडता है। जो सही बात नहीं होगी उसको कहने का हमारा अधिकार है।

श्री अध्यक्षः आप यह बताएं कि आपके हल्के के किस गांव की जमीन में अब भी बरसात का पानी खडा है।

श्रीमती करतार देवीः खुद मेरे हल्के के मेरे गांव कलानौर की जमीन में बारि ा का पानी अब भी खडा है।

ि ाक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): बहन जी क्या आपने खुद वह ड्रेन बनाये जाने के बारे में मांग नहीं की थी ? जब पीछे बाढ का पानी आया था तो उस वक्त केलंगा और खरक व दूसरे गांवों में काफी पानी खडा हो गया था। उस वक्त क्या आपने वह ड्रेन बनाने की बात नहीं कही थी ?

श्रीमती करतार देवीः मैंने मांग की थी लेकिन मेरी मांग तो मानी ही नहीं गई। जिस जगह से ड्रेन निकालने की मैंने मांग की थी वहां से तो ड्रेन निकाली ही नहीं गई।

अब मैं एक बात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कहना चाहूंगी। मैं सरकार का ध्यान आकर्शित करना चाहूंगी कि सरकार की मौजूदा नीति के कारण हजारों हजारों लोग गरीबी की रेखा के नीचे आने वाली लिस्ट में आने से वंचित हो गए हैं। मैंने

इस बारे में अधिकारियों से पूछताछ की तो वे कहने लगे कि सेन्ट्रल गवर्नमैंट की गाईड लाईन ही ऐसी है कि यदि किसी ने दो कमरे डाल रखे हैं तो वह भी गरीबी की रेखा के नीचे आने वाली लिस्ट में नहीं आयेंगे। इन गरीब लोगों ने किसी भले वक्त में अगर कमरे उनको खाने को देंगे। अब उनकी रिपेयर के लिए भी तो पैसा चाहिए।

अगर भारत सरकार की कोई भार्तें हैं तो उन्हें सुधारा जा सकता है। हरियाणा को बिहार न समझा जाए। हरियाणा की सामाजित परिस्थितियों को मददेनजर रखा जाए और उसके मुताबिक ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगौं की जो लिस्ट बनाने जा रहे हैं, उसको सही बनाया जाए।

श्री अध्यक्षः आप सभी अपनी सीटों पर बैठें (विघ्न एवं भाोर) मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप यह कहते हैं कि लीडर ऑफ दि हाउस, हाउस को गुमराह कर रहे हैं, फैक्टस से दूर हैं तो आप लिख कर दे दें और इनके खिलाफ प्रिविलेज मोसन ले आएं (विघ्न एंव भाोर) मैं दोबारा आपसे रिक्वैस्ट करता हूं कि प्लीज अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एंव भाोर) मैं दोबारा आपसे रिक्वैस्ट करता हूं कि प्लीज अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं भाोर) चौटाला साहब, आप एक बार नहीं बल्कि तीन बार मुख्य मंत्री रह चुके हैं इसलिए आपको

अच्छी तरह से पता है कि लीडर ऑफ दि हाउस जो कहता है वह फैक्ट होता है। (विघ्न एवं भाोर)

श्री बंसी लालः मैं जो कह रहा हूं वह आफि ायल डौकुमैंट के बेसिस पर कह रहा हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मैं आप सबसे रिक्वैस्ट करूंगा कि इस प्रकार से बोलने से बात नहीं बनेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी सीटों पर बैठिये। (विघ्न एवं भाोर) कोई डौकुमैंट की बात नहीं है, आप अपनी सीट पर बैठिये। (विघ्न एवं भाोर)

श्री अध्यक्षः गाबा साहब, आप बैठिए। (विघ्न एवं भाोर) आप सभी अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं भाोर) इनके पास अगर सारी रिपोर्ट है तो ये लिख कर दें और प्रिविलेज मो ान ले आएं। (विघ्न एवं भाोर) Chautal Sahib, I request you to take you seat. (Interruptions) I warn you please take your seat. (Interruptions).

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब की पार्टी उस वक्त कहती थी कि भाजपा दे ा की सबसे बडी धोखे बाज पार्टी है। हमने भाजपा के साथ उस समय समझौता किया जब यह पार्टी सियासी तौर पर अछूत थी और सिवाय ि ावसेना के इसे किसी ने मुंह नहीं लगाया था, आज ये लोग मुझे कहते हैं कि लोग हमारे साथ नहीं हैं। मैंने इनके जैसा ना भाुकरगुजार आज तक नहीं देखा। इन्हें तो मेरा अहसानमन्द होना चाहिए था कि मैं उस समय इनके साथ मिल कर चलने को राजी हो गया जब लोग

इनके साथ मिलने से डरते थे, मैंने उस वक्त सोचा था कि भाायद मेरी सोहबत का कुछ असर इन पर भी हो जाए पर ये तो जिनिटल धोखेबाज हैं। बेचारी जयललिता के खिलाफ पोस्टर छाप दिए। अध्यक्ष महोदय, ये लोग अपना इतिहास देखें। श्रीमती लक्ष्मी पार्वती के साथ इन्होंने मिल कर चुनाव लडा और बाद में ये चन्द्रबाबू नायडू के साथ लग गए। राजनीतिक बात तो अलग है परन्तु इन्होंने उस बेचारी की तरफ पलट कर हाल भी कभी नहीं पूछा। इन्होंने मायावती का साथ लिया और जब उसके साथ मतभेद हो गए तो इन्होंने उत्तर प्रदे ा में उसकी पार्टी तोड दी, फिर इनकी बे ार्मी देखिए कि केन्द्र में अपनी सरकार बचाने के लिए उसी मायावती की चौखट पर जाकर खडे हो गए लेकिन उसने भी इन्हें मौके पर अंगूठा दिखा दिया तो उसके भी पोस्टर निकाल रिए कि यह हमसे धोखा है। इनको अपने वायदे तो याद नहीं, परन्तु उसने कर दिया तो कहने लगे कि धोखा है। (विघ्न) जयललिता सांझे मोर्च में भाामिल हुई मगर उसके मुखालिफ पार्टी के साथ सौदाबाजी की, हमारी सरकार में भाामिल होकर इन्होंने चौटाला के साथ सौदाबाजी की। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो कभी किसी का साथ दिया ही नहीं। दो बार चौधरी देवी लाल के साथ धोखा किया। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं अहसानमंद हूं श्रीमती सोनिया गांधी का जिन्होंने आज हमारी सरकार बचाई। इसके अलावा नेहरू खानदान के साथ मेरा पुराना संबंध है। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने मुझे राज्य सभा का मैम्बर बनाया, इन्दिरा जी ने मुझे मुख्य मंत्री बनाया और इन्दिरा जी ने ही मुझे रक्षा मंत्री

बनाया और श्री राजीव गांधी ने मुझे हिन्दुस्तान के सबसे बडे पोर्टफोलियों का मंत्री बनाया। अब सोनिया गांधी कम्यूनल फोर्सिज के खिलाफ लड रही है तो इसलिए हम भी उनका साथ डट कर देंगे। उनकी गाईडैंस में चलेंगे और उनके साथ रहेंगे। मैं सोनिया जी का बार बार धन्यावाद करता हूं और जो इन भाईयों ने साथ दिया है उसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार ने इस 30 जून को हरियाणा की जनता को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का वायदा किया था जो कि इसी बुधवार को पूरा हो जाएगा। श्री ओम प्रका ा चौटाला को 24 घंटे मिलने वाली बिजली का करंट अभी से लग रहा है। भाजपा ने हमारी पार्टी में फूट डालने की कोि ा ा की और अलोकतांत्रिक प्रयास करते रहे ताकि यह सरकार 24 घंटे बिजली देने के वायदे को पूरा न कर सके और इन्हीं पचडों में उलझी रहे। लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से हरियाणा की जनता को यह वि वास दिलाता हूं कि उन्हें इस बुधवार से 24 घंटे बिजली मिलनी भाुरू हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अब इसके बाद मुझ पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि मेरी सरकार ने विकास के कोई काम नहीं किए हैं, यह असत्य और गलत बात है। अगर प्रधान मंत्री जी के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो वे मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लें, इन्क्वायरी कर लें, वे चाहे जो मर्जी कर लें। अध्यक्ष महोदय, बी0जे0पी0 के प्रवक्ता ने हरियाणा सरकार से समर्थन वापिस लेने के बाद कहा कि हम गंगा जी नहा लिए हैं यह बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही है। हम सभी जानते हैं कि हमारे

यहां गंगा कब नहाया जाता है, मैं तो यही कहता हूं कि ई वर इनकी आत्मा को भाांति दे। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय, के आदे ा का सम्मान करते हुए आज हम इस सदनमें वि वास का मत लेकर आए हैं। लेकिन आज हमारा और दे ा के बाकी लोगों का दिल दिमाग दे ा की सीमाओं पर लगा है। लेकिन दे ा के प्रधान मंत्री का ध्यान सीमाओं की तरफ नहीं है तो यह दे ा का दुर्भाग्य ही है। यह लडाई खत्म हो जाए और दे ा की धरती से दु मन को खदेड दिया जाए तो मैं जनता के बीच में जाकर अपने हर नौजवान की भाहादत का सवाल उठाऊंगा और प्रधान मंत्री से और उनकी पार्टी से जवाब मांगूगा। फिलहाल मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि मेरी तकरीर के बाद अपने बहुमूल्य मत वि वास मत के पक्ष में देने का निर्णय करें।

श्री ओम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनें। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चौटाला जी, यह क्या तरीका हुआ, आप जैसे मर्जी मुझे बोलेंगे। (ाोर)

जब आपके मन में आता है तो आप खडे हो जाते हैं। आप आराम से बैठ जाइए। (ाोर) दुरूपयोग आप कर रहे हैं। (ाोर एवं व्यवधान) आप बैठ जाइए। जो कुछ भी चौटाला साहब

ने मेरी परमि ान के बगैर कहा है उसे बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। यहां आंखें दिखाने से काम नहीं चलेगा।

श्री अत्तर सिंह सैनीः यहां रिकार्ड मौजूद है अगर परमि ान ली है तो बताएं।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, भाजपा का चौटाला के प्रति दृश्टिकोण 1977–78 के नारनौल उप चुनाव में स्वर्गीय मंगल सैन जी को पी0डब्ल्यू0डी0 रैस्ट हाउस से बाहर फैंक दिया। (विघ्न) जबकि वे मंत्री थे और अपनी पार्टी के प्रचार के लिए गए थे।

श्री ओम प्रका ा चौटालाः ऑन ए प्वाइंट ऑफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी जो इस संसार में नहीं है, उसके बारे में इस सदन में बात नहीं कही जानी चाहिए।

श्री बंसी लालः मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी बात कह रहा हूं। मैं डाक्टर मंगल सैन जी की बात नहीं कह रहा हूं। इनकी करतूतों की बात कह रहा हूं।

श्री ओम प्रका ा चौटालाः उसी मंगल सैन के साथ आपने क्या व्यवहार किया था मुझे तो बताने में भी भार्म आएगी। आपकी करतूत रेडी कमी ान में छपी हैं .....

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, जो कुछ कह रहे हैं उसे रिकार्ड न किया जाए।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, 20 जनवरी 1998 को श्री राम बिलास भार्मा ने हरियाणा विधान सभा में कहा था कि चौटाला सन्यास ले लेते (ाोर एवं व्यवधान) लेकिन श्री चौटाला संयास कैसे लेते क्योंकि संयास लेने के लिए किसी गुरू की आव यकता पडती है और कोई गुरू श्री चौटाला जैसे व्यक्ति को चेला बनाने के लिए तैयार नहीं है। इसी सदन की कार्यवाही में यह बात है। अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब कहते हैं कि मुझे मेरी करतूतें बताओ और बताते हैं तो बताने नहीं देते। वाजपेयी जी की सरकार ने जब वि वास मत लियाथा उससे एक दिन पूर्व श्री चौटाला का बयान था कि किसी कीमत पर हम वाजपेयी जी की सरकार को समर्थन नहीं देंगे। यह बात इन्होंने टैलीविजन पर बडे जौर भाोर से कही थी। मेहम का उप चुनाव रदद करवाने के लिए उम्मीदवार अमीर सिंह की हत्या की गई और चुनाव के दौरान बैंसी और मदीना में, बैंसी में नौ और मदीना में तीन निर्दोश लोगों की हत्या की गई। महामहिम राज्यपाल श्री जी0 डी0 तपासे जी के साथ बदतमीजी की गई। श्री कृपा राम पूनियां का मुंह काला किया गया यह मैं इनका हरिजनों के प्रति प्रेम बता रहा हूं। चौधरी देवी लाल जी ने बनियों और पंजाबियों को वोट डालने के अधिकार से वंचित कर देने की बात कही थी। (विघ्न)

श्री ओम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जो आदमी इस सदन में अपनी स्टेटमैंट नहीं दे सकता, उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, उस समय के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और भूतपूर्व उप प्रधान मंत्री ने बनियों और पंजाबियों को वोट डालने के अधिकार से वंचित कर देने की बात कही थी। महात्मा गांधी राश्ट्रपिता थे मगर उन्होंने बनिए के घर जन्म लिया था। उनके नाम का पैम्फलैट इन समुदायों के बारे में नफरत पैदा करने के लिए बांटे गये थे। 22 अक्तूबर 1978 को जब भूतपूर्व मुख्य मंत्री और भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो श्री ओम प्रका ा चौटाला को कस्टम अधिकारियों ने हवाई अडडे पर 58 स्विस घडियों और 47 फाउण्टेन पैन की तस्करी में पकड लिया तो श्री ओम प्रका ा जी के पिता श्री ने इन्हें अपने बेटे से डिस ओन कर दिया। 1998 के लोक सभा चुनाव में चौटाला साहब के बेटे को भूतपूर्व मुख्यमंत्री और बी0एस0पी0 ने समर्थन दिया। आदमपुर के चुनाव में भाजपा के लोगों ने श्री सुरेन्द्र सिंह का विरोध किया। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की राजनीति में पहली बार ग्रीन ब्रिगेड द्वारा हिंसक वारदातें भाुरू की गई थीं। और मुझे भाजपा द्वारा छोड देने की कोई हैरानगी नहीं है क्योंकि ये लोग तो सब कुछ छोडे बैठे हैं। जिस राम के नाम पर वोट लिया उसी को छोड दिया तो बेचारा बंसी लाल कहां बचता। जनसंघ नाम छोड दिया, दीपक नि ाान छोड दिया, केसरिया झण्डा छोड दिया। याद है वह नारा कि 'दे ा धर्म के नाम पर गऊ हमारी माता है' वह भी अब छोड दिया। आर्टीकल 370 का क्या हुआ, वह भी छोड दिया। कॉमन सिविल कोड को भी छोड दिया। डॉ0 हेडगेवर और गोवलकर को छोडकर गान्धी

जी को पकड लिया। फिर बेचारा राम हाथ आ गया। चुनाव जीत लिया तो उसे छोड दिया। ये किस किस को छोडेंगे और कहां कहां तक छोडतें जायेंगे। मन्त्री हटाना और बनाना मुख्य मंत्री का अधिकार है और मेरे वे साथी इस बात को मानते हैं और आपके सामने भी उन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में श्री जगमोहन जी को संचार मंत्रालयस से क्यों हटाया ? और हटाने का कोई कारण भी नहीं बताया। परन्तु कारण सारा दे ा और दे ा की जनता जानती है। क्योंकि सेलूलर फोन वालों की तरफ साढे चार या पांच हजार करोड रूपये बकाया थे और श्री जगमोहन जी उस पैसे की वसूली पर लगे हुए थे और उन्होंने एक हजार करोड रूपये की वसूल भी कर ली थी कि अचानक उनके महकमें को बदल दिया गया। मुझे कहते हैं ओर खुद क्या कर रहे हैं। भ्रश्टाचार की बात तो प्रधानमंत्री जी ने कह दी।

उद्योग

माननीय सदस्यगण, हरियाणा तेजी से औद्योगिक विकास के एक मुख्य केन्द्र के रूप में सामने आ रहा है। अच्छी संचार सुविधायें, बिजली, जल, विकसित औद्योगिक सम्पदायें, तकनीकी संस्थान आढैर विकसित बाजार की उपलभ्यता जैसी उत्कृश्ट मूलभूत सुविधायें हरियाणा में उपलब्ध हैं। वर्श 1997–98 के दौरान हरियाणा से 2961 करोड रूपये का निर्यात किया गया, जो कि एक कीर्तिमान है। नवम्बर 1998 तक हमने 1748 करोड रूपये के सामान का निर्यात किया है। चालू वित्त वर्श के दौरान

45 औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन पे ा किए गये, जिनसे 294 करोड रूपये का निवे ा प्राप्त होगा। वर्श 1998–99 में 29.20 करोड रूपये के निवे ा से पांच बडे तथा मध्यम स्तर के उद्योग लगाये गये और 1099 छोटे उद्योग स्थापित किये गये। चालू वर्श के दौरान 59 करोड रूपये के सीधे विदे ाी निवे ा वाले 29 प्रस्ताव अनुमोदित किये जो चुके हैं।

राज्य में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिये वर्श 1998–99 में औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास नीति को सं ाोधित किया गया है। उच्च तथा मध्यम क्षमता वाले क्षेत्र के लिये पांच करोड या पांच करोड रूपये से अधिक निवे ा वाले तथा निम्न क्षमता वाले क्षेत्र में तीन करोड रूपये या इससे अधिक निवे ा वाली औद्योगिक परियोजनाओं के लिये अब तुरन्त प्लोट अलॉट करने की व्यवस्था की गई है। राज्य के पिछडे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की गति को और अधिक तेज करने के लिये उन इलाकों के लिये निशेधात्मक सूची में आने वाले उद्योगों को कम किया गया है। उद्योगीकरण के विकास के लिये हरियाणा औद्योगिक नीति की बुनियादी नीति की अनुपालना में सरकार द्वारा प्लॉटों की अलॉअमैंट तथा ट्रांसफर, औद्योगिक प्लॉटों को पटटे पर एवं किराये पर देने, भूमि उपयोग के परिवर्तन, श्रम विधि, बिक्री कर नियमों और प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से संबंधित प्रक्रिया और अनेक नियमों को सरल बनाने के लिए कई उपाय किये गये हैं।

हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने वर्श 1998–99 के दौरान नवम्बर 1998 तक 41.72 करोड रूपये के ऋण स्वीकृत किये हैं। इसी अवधि के दौरान, हरियाणा वित्त निगम ने कुल 77.04 करोड रूपये के ऋण स्वीकृत किये हैं औद्योगिक सम्पदाओं के विकास के लिये हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने वर्श 1998–99 के दौरान अब तक 15.78 करोड रूपये खर्च किये हैं। औद्योगिक मॉडल टाउनि ाप, मानेसर में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। विकास केन्द्र, बावल, फेज–1 में इस वर्श निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और फेज–2 में लगभग 500 एकड भूमि पर कार्य चल रहा है और आगामी तीन वर्शों के दौरान इस पर 125 करोड रूपये का निवे ा होने की संभावना है। कुण्डली में औद्योगिक सम्पदा के विकास के लिये भूमि की खरीद की जा रही है और गन्नौर के निकट बाहरी में 500 एकड से अधिक भूमि पर हौजरी कॉम्पलैक्स विकसित किया जा रहा है। चालू वित्त वर्श के दौरान मानकपुर (जगाधारी) में लगभग 125 एकड भूमि पर औद्योगिक सम्पदा विकसित की जा रही है। वर्श 1999–2000 के दौरान 2000 लघु औद्योगिक यूनिट तथा 40 बडे तथा मध्यम दर्जे के औद्योगिक यूनिट स्थापित करने की सम्भावना है। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने उन गांवों में कुछ सामान्य सुविधायें प्रदान करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है, जहां पर गांव विकास स्कीम के अन्तर्गत औद्योगिक सम्प्रदायें स्थापित करने के लिए भूमि की खरीद की जाती है। इस स्कीम के

अन्तर्गत, गांवों के युवाओं को तकनीकी प्र ि ाक्षण तथा औद्योगिक रोजगार प्रदान किया जाता है।

राज्य सरकार का वर्श 1999–2000 के दौरान औद्योगिक विकास की विभिन्न योजनागत तथा गैर योजनागत स्कीमों में 92. 36 करोड रूपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिये आव यक उपाय किये गये हैं। कुण्डली की औद्योगिक सम्पदा में 79 लाख रूपये की लागत से एक औद्योगिक परि ाोधन संयन्त्र लगाया गया है। वर्श 1998–99 तक हरियाणा राज्य प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा 912 औद्योगिक यूनिटों में परि ाोधन संयन्त्र लगवाये गये हैं। पर्यावरण सम्बंधी विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्श 1999–2000 के लिये 1.50 करोड रूपये के योजनागत खर्च की व्यवस्था की गई है।

स्वास्थ्य सेवायें

हमारी सरकार 2000 ईस्वी तक सभी के के लिए स्वास्थ्य प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। चालू वर्श के दौरान जूई (भिवानी) में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया है और पलवल तथा झज्जर के दो अस्पतालों का दर्जा बढा कर उन्हें 50 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया गया है। मेवात क्षेत्र के लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिये माण्डीखेडा के 50 बिस्तर वाले अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा होने वाला

है और मानेसर के 50 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण कार्य चालू वर्श में आरम्भ किया जाएगा। दिसम्बर 1998–99 तक विभाग द्वारा अस्पतालों के निर्माण कार्य और स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढाने के लिए 5.23 करोड रूपये खर्च किये जा चुके हैं, इस समय 8 अस्पताल, 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 12 उप केन्द्र निर्माणाधीन हैं। स्वास्थ्य संस्थाओं के अल्ट्रा साउंड म ीनों, ई0सी0जी म ीनों आदि जैसी आधुनिक उपकरण लगाये जा रहे हैं। कचरे को जलाने के लिए 9 जिला अस्पतालों में भस्मक भटिठयां लगाई गई हैं। वर्श 1999–2000 के दौरान सरकार द्वारा छः उप केन्द्रों का दर्जा बढा कर उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और छः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाकर स्वास्थ्य सेवा सुविधा बढाने का प्रस्ताव है।

हरियाणा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर दन्त चिकित्सक देखभाल की व्यवस्था करने वाला दे ा का प्रथम राज्य है। ओर 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दन्त चिकित्सा यूनिट लगाये गये हैं। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जिसमें राज्य प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत हैपाटाइटिस बी टीकाकरण भाुरू किया गया है और यह कार्यक्रम आगामी वर्शों में जारी रखा जायेगा। चालू वर्श के दौरान 3 करोड रूपये की राि ा से हैपाटाइटिस बी टीकाकरण की 10 लाख खुराकें खरीदने की सम्भावना है। और यह अभियान अगले वर्श भी जारी रहेगा। राज्य

प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत हैपाटाइटिस बी टीकाकरण की प्रमुख स्कीम के लागू करने से जिंग का कैंसर और जिगर की अन्य बीमारियां कम करने में सहायता मिलेगी।

सरकार द्वारा मलेरिया और डेंगू बुखार के प्रकोप को रोकने के लिये तुरन्त और प्रभाव ाली उपाय करने के परिणामस्वरूप वर्श 1998 के दौरान डेंगू बुखार के किसी रोगी की सूचना नहीं मिली है। मलेरिया बुखार के रोगियों में वर्श 1997 की तुलना में वर्श 1998 के दौरान 82.7 प्रति ात की उल्लेखनीय कमी आई है। राज्य को पोलियोमुक्त बनाने के लिये हरियाणा में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से चलाया जा रहा है। दिसम्बर 1998 तक हमारी उपलब्धि 110 प्रति ात थी और इस कार्यक्रम को चलाने में हमारे राज्य का दे ा में चौथा स्थान है।

स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा तथा सह चिकित्सा कर्मचारियों को वि व बैंक परियोजना आई0पी0पी0–7 के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, पंचकूला में सेवाकालीन प्र ि ाक्षण दिया गया ताकि उनकी कार्य कु ालता में वृद्धि हो सके। वि व बैंक सहायता से भ्ारू किये गये प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार कल्याण और ि ा ु देखभाल सम्बंधी उच्च कोटि की सेवायें निरन्तर प्रदान की जा रही हैं। इस कार्यक्रम का उद्दे य 28.8 की वर्तमान जन्म दर और 68 की ि ा ु मृत्यु दर को कम करना है। राज्य द्वारा एडस नियंत्रण कार्यक्रम सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है, जो कि भात प्रति ात

केन्द्र चालित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्दे य, लोगों में जागृति लाकर एच0आई0वी0 वायरस को फैलने से रोकना है। राज्य के सभी जिलों में लाइसैस प्राप्त रक्त बैंक स्थापित किये गये हैं, जहां रोगियों को रक्त देने से पूर्व एच0आई0वी0 संक्रमण की पूरी जांच सुनि ि चत की जाती है।

पण्डित भगवत दयाल भार्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान को अनुसंधान एवं चिकित्सा देख भाल का एक उत्कृश्ट केन्द्र बना दिया गया है। वर्श 1998–99 में 3.75 करोड रूपये की लागत से दुर्घटना सेवा के लिए ट्रौमा ब्लॉक परियोजना भ्रारू की गई है और इसमें विभिन्न प्रकार के लगभग 200 रोगियों को दाखिल किया जा सकता है। वर्श 1999–2000 के दौरान, सी0टी0 स्कैन, और एम0आर0अई0 ब्लॉक, पृथक टी0बी0 और चैस्ट ब्लॉक, वि ि ाश्ट सेवा ब्लॉक और अमले के लिये नये आवास भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है।

राज्य सरकार द्वारा हरियाणा में आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा वर्श 1999–2000 के दौरान 10 नये आयुर्वैदिक औशधालय खोलने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र के लिये वर्श 1999–2000 के दौरान 2.50 करोड रूपये के योजनागत खर्च का प्रस्ताव रखा गया है।

राज्य सरकार द्वारा वश 1999–2000 के दौरान विभिन्न योजनागत और गैर योजनागत स्कीमों के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं पर 309.28 करोड रूपये खर्च किये जाने का प्रस्ताव है।

ि ाक्षा

राज्य सरकार प्राथमिक ि ाक्षा की सर्वव्यापकता, भौक्षणिक सुविधाओं के विस्तार तथा सभी स्तर की ि ाक्षा की गुणवता में सुधार के माध्यम से मानव संसाधनों के विकास के प्रति पूरी तरह सजग है। विद्यालयों में बच्चों, वि ोशतः अनुसूचित जातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों की लडकियों के दाखिलों तथा उन्हें विद्यालयों में बनाये रखने हेतु निः ाुल्क वर्दियां, निः ाुल्क लेखन सामग्री, उपस्थिति पुरस्कार, निः ाुल्क पाठय पुस्तकें तथा वि ोश उपस्थिति भत्तों जैसे वि ोश प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। वर्श 1999–2000 के लिये इस स्कीम के अन्तर्गत 4.70 करोड रूपये के खर्च का प्रावधान किया गया है।

प्राथमिक ि ाक्षा की सर्व व्यापकता तथा लडका लडकी में समानता पर बल देते हुये विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की दर घटा कर 10 प्रति ात से भी कम करने के उददे य से जिला प्राथमिक ि ाक्षा कार्यक्रम जो एक महत्वाकांक्षाी एवं नया प्रयास है, अब राज्य के सात जिलों में चलाया जा रहा है। वर्श 1999–2000 के लिये इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.50 करोड रूपये के खर्च का प्रस्ताव है। स्थानीय समुदाय तथा ग्राम पंचायतों के सक्रिय सहयोग

से यह कार्यक्रम प्रगति कर रहा है। राज्य के सभी जिलों में विद्यालय छोडने वाले बच्चों तथा अि ाक्षित व्यस्कों को ि ाक्षित करने हेतु पूर्ण साक्षरता अभियान चलाये जा रहे हैं वर्श 1999–2000 के दौरान सुविधा नेटवर्क को और सुदृढ करने के लिये सरकार द्वारा 100 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने तथा 414 विद्यालयों का दर्जा बढाने का प्रस्ताव है।

सरकार, उच्चतर ि ाक्षा की गुणवता में सुधार करने के लिये भी प्रयास कर रही है। वर्श 1998–99 के दौरान चार गैर सरकारी सम्बंद्ध महाविद्यालयों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है जबकि सिवावनी में एक नया राजकीय महाविद्यालय खोला गया है। माननीय सदस्यगण को यह जानकार हर्श होगा कि हमारी सरकार महिलाओं की ि ाक्षा के प्रति काफी चिन्तित है तथा राज्य में कन्या महाविद्यालयों की संख्या 1966 में 9 से बढ कर अब 51 हो गई है। कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को उच्चत्तर ि ाक्षा की व्यापक सुविधायें देने हेतु कई छात्रवृतियां प्रदान की जा रही हैं। इस प्रयोजनार्थ वर्श 1999–2000 के दौरान 2.09 करोड रूपये की रा ि ा की व्यवस्था की गई है। लडकों तथा लडकियों के विचारों में परिवर्तन लाने के उद्दे य से 40 राजकीय महाविद्यालयों में महिला विकास तथा अध्ययन कक्ष स्थापित किये गये हैं।

राज्य में डिग्री तथा डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी रूप से प्रि ाक्षित जन भाक्ति 47 तकनीकी संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से तैयार की जा रही है। सरकार ने प्रत्येक जिले में एक

बहुतकनीकी संस्थान खोलने तथा 9वीं योजना के दौरान रिवाड़ी, कुरूक्षेत्र, जीन्द, पंचकूला, भिवानी, यमुनानगर, कैथल, सिरसा तथा पानीपत जिलों में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान आरम्भ करने का निर्णय लिया है। जिला भिवानी के लौहारू में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। 12 राजकीय तथा 4 निजी प्रबन्धन वाले सरकारी सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थानों की क्षमता तथा तकनीकी ि ाक्षा में सुधार के लिए सरकार, वि व बैंक सहायता प्राप्त तकनीि ायन ि ाक्षा परियोजना लागू कर रही है। वर्श 1999–2000 के लिए तकनीकी ि ाक्षा हेतु 70 करोड रूपये के योजनागत खर्च का प्रस्ताव है।

उद्योगीकरण का पूरा लाभ उठाने के लिए राज्य द्वारा 195 औद्योगिक प्रि ाक्षण एवं व्यावसायिक ि ाक्षा संस्थानों के माध्यम से प्रि ाक्षित औद्योगिक कार्यबल तैयार किया जा रहा है। वर्श 1998–99 के दौरान 10 नये व्यावसिक ि ाक्षा संस्थान खोले गये तथा वर्श 1999–2000 के दौरान 5 नये संस्थान खोलने का प्रस्ताव है। विटना, सढौरा तथा फतेहाबाद में तीन नये औद्योगिक प्रि ाक्षण संस्थानों में कार्य आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है। सेवानिवृत होने वाले सैनिक कर्मचारियों और अधिकारियों को स्व रोजगार हेतु प्रि ाक्षण प्रदान करने के लिए राज्य ने चालू वर्श के दौरान अम्बाला छावनी में सेना औद्योगिक प्रि ाक्षण संस्थान खोलने में सहायता प्रदान की है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1.60 करोड रूपये है तथा हमारी सरकार ने

संस्थान को म ाीनरी तथा उपकरणों के लिए चालू वित्त वर्श के दौरान 67 लाख रूप्ये की सहायता प्रदान की है।

वर्श 1999–2000 के लिए ि ाक्षा क्षेत्र हेतु कुल 1214.34 करोड रूपये के योजनागत तथा गैर योजनागत खर्च का प्रस्ताव है, जिनमें से 438.84 करोड रूपये प्राथमिक ि ाक्षा, 434.04 करोड रूपये वरिश्ठ माध्यमिक ि ाक्षा, 191.16 करोड रूपये उच्चतर ि ाक्षा, 26.06 करोड रूपये कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा सेवाओं, 85.34 करोड रूपये तकनीकी ि ाक्षा तथा 38.90 करोड रूपये का व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रि ाक्षण कार्यक्रमों के लिये उपयोग किया जायेगा।

समाज कल्याण

राज्य सरकार, वृद्ध नागरिकों, विधवाओं, विकलांगों और समाज के अभावग्रस्त वर्गों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में प्रयासरत है। विभिन्न कल्याण स्कीमों के माध्यम से अनुसूचित जातियों, पिछडे वर्गों और विमुक्त जातियों का सामाजिक आर्थिक स्तर बढान भी हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है।

वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पैं ान स्कीम के अन्तर्गत वर्श 1998–99 में दिसम्बर, 1998 तक 93.75 करोड रूपये की रा ि ा खर्च की जा चुकी है और वर्श 1999–2000 के दौरान 107.25 करोड रूपये की रा ि ा खर्च करने का प्रस्ताव है। अ ाक्त

व्यक्तियों के कल्याण हेतु वर्श 1999–2000 के दौरान 3.66 करोड रूपये की रा ि ा खर्च करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार द्वारा वृद्धावस्था गृह के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता की सीमा 5 लाख रूपये सै बढा कर 30 लाख रूपये से बढा कर 30 लाख रूपये कर दी गई है। वर्श के दौरान छः जिलों में वृद्धावस्था गृह बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है। अम्बाला के वृद्धावस्था गृह को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार ने स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे अनाथालयों के बच्चों को गुजारा भत्ता 250 रूपये प्रति मास से बढा कर 350 रूपये प्रति मास प्रति बच्चा कर दिया है। बेरोजगार नेत्रहीन कुर्सी बुनने वाले व्यक्तियों के लिये प्रति धारण भत्ता 1000 रूपये प्रति मास से बढा कर 1500 रूपये प्रति मास कर दिया गया है। निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता देने की स्कीम को और अधिक उदार बनाया गया है और अब 10000 रूपये वार्शिक तक की आय वाले व्यक्तियों के बच्चों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाया जायेगा जबकि पहले आय मापदण्ड 1800 रूपये वार्शिक था। ि ा ु तथा विकलांग कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिये वर्श 1999–2000 के दौरान 2.07 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और पिछडे वर्ग कल्याण विभाग की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से अनुसूचित जातियों और पिछडे वर्गो के भौक्षणिक और सामाजिक आर्थिक उत्थान पर मुख्य रूप से बल दिया जा रहा है। चालू वर्श के दौरान दिसम्बर, 1998 तक इन स्कीमों पर 10 करोड रूपये से अधिक राि ा खर्च की जा चुकी है और वर्श 1999–2000 के दौरान दिसम्बर 1998 तक इन स्कीमों पर 10 करोड रूपये से अधिक राि ा खर्च की जा चुकी है और वर्श 1999–2000 के दौरान 31.22 करोड रूपये की राि ा खर्च करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, हरियाणाा हरिजन कल्याण निगम द्वारा अनुसूचित जातियों के परिवारों को काम धंधा भाूरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। वर्श 1999–2000 के दौरान निगम का अनुसूचित जातियों के परिवारों को 37.88 करोड रूपये की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार हरियाणाा पिछडा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा पिछडे वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों के व्यक्तियों को उनको आर्थिक विकास हेतु 11.50 करोड रूपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी। विभिनन विभागों द्वारा वि ोश संघटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिये निधियां निर्धारित की गई हैं। 9वीं पंचवर्शीय योजनावधि के दौरान अनुसूचित जातियों के विकास के लिये राज्य के कुल योजनागत खर्च का 12.03 प्रति ात निर्धारित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी 111 ग्रामीण और 5 भाहरी खण्डों में महिला तथा बाल विकास हेतु एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम चलाई जा री है। इस स्कीम के अन्तर्गत आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से अनपुरक पोशाहार, स्वास्थ्य और अनौपरिचाक विद्यालय पूर्व ि ाक्षा जैसी सेवायें प्रदान की जा रही हैं। वर्श 1998–99 के दौरान, 2.35 लाख गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं तथा 9.93 लाख बच्चों को अनुपूरक पोशाहार मुहैया करवाया जायेगा। दिसम्बर 1998 तक 5.76 लाख बच्चों को विद्यालय पूर्व ि ाक्षा और 10 लाख से अधिक बच्चों को सामान्य बीमारियों के विरूद्ध प्रतिरक्षण प्रदान किया गया है। वर्श 1999–2000 में 12 लाख लाभानुभोगियों को इस स्कीम के अन्तर्गत अनुपूरक पोशाहार देने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिये 30.98 करोड रूपये बजट का प्रस्ताव किया गया है।

वर्श 1994 में भाुरू की गयी अपनी बेटी अपना धन स्कीम की दे ा भर में व्यापक रूप से सराहना की गई है और इस स्कीम के अन्तर्गत अब तक 2.38 लाख माताओं को लाभ पहुंचा है। वर्श 1999–2000 के दौरान भी इस स्कीम को जारी रखने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्ग 60000 माताओं को लाभ पहुंचने की सम्भावना है।

एकीकृत महिला अधिकारिता तथा विकास परियोजना जो ग्रामीण महिलाओं में जागृति लाने के उद्दे य से वर्श 1994 में महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी के जिलों में भाुरू की गई थी, ने दिसम्बर

1998 में प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यू0एन0एफ0पी0ए0 इस स्कीम के दूसरे चरण के अन्य तीन वर्शों के लिये वित्तीय सहायता देने हेतु सिद्धान्त रूप से सहमत हो गया है। समूचे रिवाड़ी जिले को जनवरी 1999 से भ्रारू होने वाली परियोजना के अन्तर्गत लाया जायेगा।

इसके अलावा जर्मनी संघीय गणतन्त्र से 7 करोड रूपये की वित्तीय सहायता से तीन वर्श की अवधि के लिये जून, 1997 से गुड़गांव जिले के सोहना, नूंह और फरूखनगर तीन खण्डों में भीऐसे ही कार्यकलाप भ्रारू किये गये। दिसम्बर, 1998 तक 28.14 लाख रूपये की रा ि ा खर्च की जा चुकी है। 109 जागृति मण्डलियां बनाई गईं हैं, जिन्होंने दिसम्बर 1998 तक 9090 बैठकें कीं।

वि व बैंक/आई0एफ0ए0डी0 सहायता प्राप्त ग्रामीण महिला अधिकारिता एवं विकास परियोजना, राज्य महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही है। इस परियोजना पर 1998 से 2003 तक की पांच वर्शों की अवधि के दौरान कुल 16.88 करोड रूपये खर्च होंगे। यह परियोजना सितम्बर, 1998 में सोनीपत जिले में भ्रारू की गई और जीन्द तथा भिवानी जिलों में भी भ्रारू की जायेगी। इस परियोजना का उद्दे य इन जिलों में ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

ग्रामीण विकास

राज्य सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने तथा रोजगार के अवसर जुटाने के विभिन्न कार्यक्रम लागू कर रही हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के 4044 तथा 4019 महिलाओं सहित 8624 लाभानुभोगियों को सहायता प्रदान करने के लिए दिसम्बर 1998 तक 7.55 करोड रूपये की रा ि ा का उपयोग किया गया है। वर्श 1999–2000 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राजकीय हिस्से सहित 12.50 करोड रूपये की रा ि ा का उपयोग करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास (डबाकरा) कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य के सभी जिलों में दिसम्बर 1998 तक 2384 महिलाओं की सदस्यता से 234 समूह गठित किये जा चुके हैं।

मरूस्थल विकास कार्यक्रम जल संग्रहण विकास परियोजनाओं पर आधारित है तथा इसे रिवाड़ी तथा महेन्द्रगढ़ जिलो के दस खण्डों में लागू किया जा रहा है। वर्श 1998–99 के अन्त तक 16000 हैक्टेयर क्षेत्र में 32 जल संग्रहण विकास परियोजनायें विकसित करने का प्रावधान है, जो मरूस्थल नियन्त्रण और परिवे ा संतुलन बहाल करने में सहायक होंगी। इसी प्रकार भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा तथा झज्जर जिलों के 35 खण्डों में रेतीले भाुश्क क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार जुटाने के लिये जवाहर रोजगार योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत वर्श

1998–99 के दौरान जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को 21.84 करोड रूपये की रा ि ा प्रदान की गई, जिसमें 16.45 करोड रूपये की रा ि ा ग्रामीण क्षेत्रों में 12.65 लाख श्रम दिवस जुटाने के लिये खर्च की गई। माननीय सदस्यगण, हमारी सरकार इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से अत्यन्त निर्धन व्यक्तियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की आवास की आव यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत वि ोशतया अनुसूचित जाति के सदस्यों, मुक्त बन्धुआ मजदूरों, युद्ध विधवाओं और अन्यों को निः ाुल्क आवासगृह मुहैया करवाये जाते हैं। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 1998 तक 3258 आवास गृहों का निर्माण किया जा चुका है तथा 3566 आवास गृह निर्माणाधीन है। दस लाख कुएं बनाने की स्कीम के अन्तर्गत दिसम्बर 1998 तक 303 खुदाई किये गये कुओं का निर्माण किया जा चुका है तथा 100 कुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। रोजगार आ वासन स्कीम के अन्तर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में 10.59 लाख श्रम दिवसों का रोजगार जुटाने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा दिसम्बर 1998 तक 17 करोड रूपये की रा ि ा खर्च की जा चुकी है।

ग्रामीण विकास एवं गरीबी कम करने के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वर्श 1999–2000 के दौरान 91.25 करोड रूपये की रा ि ा खर्च किये जाने का प्रस्ताव है।

भाहरी विकास एवं नगरपालिका प्र ाासन

राज्य सरकार, भाहरी क्षेत्रों में आव यक नगरीय सुविधाएं प्रदान करने तथा नगरपालिका निकायों के माध्यम से भाहरी योजनाबद्ध विकास सुनि चत करने के अपने कार्य में चौकस है।

भाहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरण सुधार स्कीम के अन्तर्गत नवम्बर 1998 तक 3.6 करोड रूपये की रा ि ा खर्च की गई और 1999–2000 के लिए 6 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। नगरपालिकाओं की आय बढाने के लिए तदर्थ राजस्व अर्जन स्कीमों के लिए एक करोड रूपये की रा ि ा निर्धारित की गई है। लघु तथा मध्यम नगर एकीकृत विकास स्कीम भी लागू की जा रही हैं, जिसके अन्तर्गत पांच लाख तक की आबादी वाले नगरों को विकसित किया जायेगा ताकि इन नगरों से बडे भाहरों में स्थानान्तरण होने पर नियन्त्रण लगाया जा सके। यह स्कीम अब तक बरवाला, चरखी दादरी, पेहवा और यमुनानगर भाहरों में चलाई गई हैं। नवम्बर 1998 तक 52 लाख रूपये तथा 36 लाख रूपये की रा ि ा क्रम ाः बरवाला तथा चरखी दादरी नगरपालिकाओं द्वारा खर्च की जा चुकी हैं। यमुनानगर और पेहवा नगरों में भी निर्माण कार्य चल रहा है। वश्र 1999–2000 में इस स्कीम के लिये 3.75 करोड रूपये का बजट उपबन्ध है। केन्द्रीय सहायता गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम का उद्दे य गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिये पर्याप्त जल सप्लाई, सफाई, प्राथमिक ि ाक्षा सुविधायें और आवास देना है, जिसके लिये नवम्बर 1998 तक 1.

39 करोड रूपये खर्च किये गये हैं। वर्श 1999–2000 के लिये गन्दी बस्ती विकास स्कीम हेतु 5.14 करोड रूपये की रा ि ा की व्यवस्था है। भाहरी ठोस कचरा प्रबंधन की एक नई स्कीम पर वर्श 1999–2000 में खर्च के लिए 1.22 करोड रूपये के आबंटन का प्रस्ताव है।

भाहरी गरीब जनता को स्व रोजगार प्रदान करने के उद्दे य से बनी स्वर्ण जयन्ती भाहरी रोजगार योजना स्थानीय समुदायों की सहायता से अच्छी प्रगति कर रही है। भाहरी क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास स्कीम के कार्यक्रम को राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है और इसका उद्दे य भाहरी गरीब महिलाओं को स्वरोजगार के उद्यमों के लिए संगठित करना है। इस स्कीम के लिए वर्श 1999–2000 में राज्य के हिस्से के रूप में एक करोड रूपये की रा ि ा का उपबन्ध किया जा रहा है।

वर्श 1999–2000 के दोरान, राज्य सरकार का भाहरी क्षेत्रों के विभिन्न योजनागत तथा गैर योजनागत स्कीमों के अन्तर्गत 46.84 करोड रूपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

परिवहन

हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा राज्य के लोगों को निरन्तर महत्वपूर्ण सेवायें प्रदान की जा रही हैं। इस समय हरियाणा राज्य परिवहन के पास 3801 बसें हैं, जिनमें प्रतिदिन लगभग 10.76 लाख यात्री यात्रा करते हैं। हरियाणा राज्य परिवहन

द्वारा पुरानी बसों के स्थान पर नियमित रूप से नयी बसें खरीदी जा रही हैं। इसके लिये वार्शिक योजना, 1999–2000 में 34.85 करोड रूपये का खर्च निर्धारित किया गया है। गत दो वर्श छः महीनों की अवधि के दौरा असन्ध, रतिया, जुलाना, समालखा, चरखी दादरी और अटेली में आधुनिक बस अडडों को चालू कर दिया गया है और अम्बाला छावनी, राजोंद, रोहतक बाई पास और भिवानी के नये बस अडडे निर्माणाधीन हैं। सडक परिवहन के लिये वार्शिक योजना 1999–2000 में 40 करोड रूपये का खर्च निर्धारित किया गया है।

पर्यटन

हरियाणा राज्य, दे ा में राजमार्ग एवं घरेलु पर्यटन के विकास में अग्रणी है, राज्य में 44 पर्यटन केन्दों का नेटवर्क है। पर्यटन सुविधाओं को नियमित रूप से आधुनिक तथा बेहतर बनाया जा रहा है। चालू वर्श के दौरान गुडगांव, रिवाडी तथा पिपली केन्द्रों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया गया है। पेहवा में एक "यात्रिका" पर्यटन केन्द्र पूर्ण होने वाला है तथा हांसी में एक नया पर्यटन केन्द्र भीघ्र ही बनकर तैयार हो जाने की सम्भावना है। करनाल में 9 होल गोल्फ कोर्स भी आरम्भ किया गया है। अधिक पर्यटकों को आकर्शित करने के लिये हरियाणा पर्यटन, निजी क्षेत्र के संयुक्त उद्यम से उचाना में अम्यूजमैंट पार्क, माधोगढ से हैरिटेज होटल और सोहना में हैल्थ क्लब की परियोजनायें तैयार कर रहा है। वर्श 1999–2000 के दौरान आरम्भ की जाने वाली

अन्य प्रस्तावित परियोजनाओं में भिवानी तथा राई में नये पर्यटन केन्द्र, हिसार तथा रोहतक में नये फास्ट फूड केन्द्र तथा दमदमा और पिंजौर में नये कमरों का निर्माण सम्मिलित है।

वर्श 1999–2000 के दौरान पर्यटन गतिविधियों के विकास हेतु 5.54 करोड रूपये की रा ि ा की बजट सहायता का प्रस्ताव किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों की भलाई

राज्य के उद्दे यों को पूरा करने में सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को सरकार द्वारा सदैव मान्यता प्रदान की गई है। इसके दृश्टिगत, राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की पद्धति पर उनके वेतनमानों में सं ाोधन किया है तथा अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहली जनवरी, 1996 से वेतन में वृद्धि का लाभ दिया है। सरकार ने चालू वर्श के दौरान मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा अन्य भत्तों की दरों में सं ाोधन किया है। हमारी सरकार ने वर्श 1996–97 के लिये बोनस की अदायगी के अतिरिक्त, अपने कर्मचारियों के लिये 1–1–96 से 1–7–98 की अवधि के दौरान केन्द्रीय पद्धति पर महंगाई भत्ते की 5 किस्तें मंजूर की हैं। हमारी सरकार ने सेवानिवृत्ति पर अवका ा नकदीकरण की अधिकतम सीमा सं ाोधित करके 240 दिन के स्थान पर 300 दिन कर दी है। इनके कारण राज्य पर कुल 1791.62 करोड रूपये की

अतिरिक्त वित्तीय देयता होने का अनुमान है। हमारी सरकार ने लगभग 143 करोड रूपये का लाभ देते हुए राज्य सरकार की पद्धति पर इस वर्श बोर्डों, निगमों तथा सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनमान भी सं ाोधित किये हैं।

वेतन विसंगतियों के मामलों पर विचार करने हेतु अधिकारियों की एक उच्चाधिकार–प्राप्त समिति तथा मन्त्रियों की एक समिति गठित की गई है। इस समिति की सिफारि ा पर कई वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमानों की विसंगतियां दूर की गई हैं। इन कल्याण उपायों के साथ ही हम आ ाा करते हैं कि हमारे कर्मचारी राज्य की जनता के कल्याण के लिये पूर्ण लगन से कार्य करेंगे।

बजट अनुमान, 1999–2000

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब इस गरिमामय सदन के सम्मुख 1999–2000 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। वर्श 1998–99, रिजर्व बैंक की पुस्तकों के अनुसार 104.55 करोड रूपये के घाटे से आरम्भ हुआ और इसके 21.91 करोड रूपये घाटे से समाप्त होने की सम्भावना है। इस प्रकार वर्श के दौरान बजट सम्बंधी लेन देन 82.64 करोड रूपये के अधि ोश की ओर संकेत देते हैं, जो कि राज्य सरकार की अच्छी वित्त–व्यवस्था का सूचक है।

वर्श 1999–2000, रिजर्व बैंक की पुस्तकों के अनुसार, 21.91 करोड रूपये के घाटे से आरम्भ होगा तथा 44.58 करोड रूपये के घाटे से समाप्त होगा। इस प्रकार वर्श के दौरान बजट सम्बन्धी लेन देन 22.67 करोड रूपये के घाटे की ओर संकेत देते हैं। ऐसा इसलिये हुआ है क्योंकि हम आगामी वर्श में पिछले वर्श की अपेक्षा बढी हुई वार्शिक योजना 2300 करोड रूपये से कार्यान्वित करेंगे। यह रा ि ा केन्द्र प्रायोजित एवं अन्य विकास स्कीमों के लिये 303.90 करोड रूपये के अतिरिक्त होगी। मैं इस गरिमामय सदन को सूचित करना चाहूंगा कि हरियाणा अपने दूरद र्ी वित्तीय प्रबन्धन के लिये जाना जाता है। हरियाणा, दे ा के उन राज्यों में से एक है, जिनमें चालू राजस्व का बकाया सकारात्मक रहा है। वर्श 1999–2000 के बजट अनुमानों में 46.08 करोड रूपये के चालू राजस्व का बकाया सकारात्मक दिखाई देता है। राज्य का वित्तीय घाटा इसके सकल राज्य घरेलु उत्पाद का

3 प्रति ात है।

माननीय सदस्यगण, आप इसकी सराहना करेंगे कि बजट घाटा प्रबन्ध योग्य सीमा के अन्दर है। यह घाटा प्रत्या ि ात आर्थिक लचीलेपन और कर अपर्वचन की रोकथाम और औचित्यपूर्ण उपायों के कारण पूरा हो जायेगा। माननीय सदस्यगण को मैं सूचित करना चाहूंगा कि दसवें वित्त आयोग द्वारा यह सिफारि ा की गई है कि केन्द्रीय करों की एक वैकल्पिक हस्तांतरण स्कीम

लागू की जाये, जिसके द्वारा कुल करों का 29 प्रति ात राज्यों को अतंरित होना चाहिए और अन्तर्राज्यीय परिशद द्वारा इस स्कीम का अनुमोदन कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा बढाकर 33 प्रति ात कर दिया जाये। जब इसकी कार्यान्वित होगी तो केन्द्रीय करों में हमारे हिससे में भी पर्याप्त वृद्धि होगी।

मैं इस गरिमामय सदन को सूचित करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने राज्य की विकास स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिये इस बजट में कोई नया कर न लगाते हुए यहां की जनता के हितों की सर्वोपरि माना हैं मुझे वि वास है कि हम इस सदन के माननीय सदस्यगण तथा हरियाणा की जनता के सहयोग तथा सहायता से अपने सभी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में समर्थ होंगे।

महोदय, अब मैं बजट अनुमान, 1999–2000 इस गरिमामय सदन के विचारार्थ तथा अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करता हूं।

जयहिन्द।

Mr. Speaker: Now the House stands adjourned till 2.00 P.M. tomorrow.

***3.49 P.M.**

(The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Thursday, the 4th February, 1999).